15.35 hrs.

HINDU SCRIPTURES AND OTHER RELIGIOUS LITERATURE (REVIEW AND AMENDMENT) BILL—Contd.

MR. DEPUTY SPEAKER : Now, the House will take up further consideration of the following motion moved by Shri Rajnath Sonkar Shastri on 24 February, 1984, namely :—

> "That the Bill to provide for a review of Hindu scriptures and other religious literature and for that purpose establish a Commission and for matters connected therewith, with a view to identify and omit or amend such words, sentences, paragraphs, stanzas, chapters etc. from the scriptures and other religious literature which tend to encourage or propagate hatred, discrimination, inequality or untouchability among citizens on grounds of religion, race, caste, sex, vocation or place of birth, in violation of the principles enshrined in the Constitution of India and the solemn resolution of the people of India contained in the Preamble to the Constitution, be taken into consideration."

Shri Sunder Singh was on his legs. He has already taken 11 minutes. He may continue.

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पिछली दफा बतला रहा था कि बड़े-बड़े पैगम्बर हुए हैं, देवता हुए हैं, उन्होंने बड़े-बड़े प्रचार किये हैं कि हरिजनों का सुधार होना चाहिए, लेकिन नहीं हो सका । इसकी वजह यह है कि जिस का सुधार होना है वह खुद कोशिश करे, तब हो सकता है । बगैर कोशिश किए कुछ नहीं होगा । आपने कहा कि किताबों में लिखा है कि हरिजनों के साथ छूत-छात करो, भंगी आप के सामने आ जाय तो उसको हट जाना चाहिए- ये सब पुरानी बातें हो गई हैं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : बहुत पुरानी बातें हैं लेकिन अब भी ऐसा होता है ।

श्री सुन्दर सिंह : अभी भी ऐसा होता होगा, लेकिन जो निकम्मे एम०एल०ए० या एम० पी० है उनके यहां होता होगा । जो अच्छे हैं उन के यहां नहीं हो सकता । हमारे यहां अब ऐसा नहीं हो सकता और अगर कहीं होता है तो हम उसके खिलाफ लड़ सकते हैं । जब दूसरे हुकूक के लिए लड़ाई की जाती है तो इसके लिए भी लड़ाई की जाय, फिर कैसे यह चीज हो सकती है । आप कहते हैं कि उसमें यह लिखा हुआ है और वह लिखा हुआ है और गन्दी बातें लिखी हुई हैं और इनको निकालना चाहिए । मेरा कहना यह है कि हमें इस की परवाह नहीं करनी चाहिए कि क्या लिखा है किसी गलत आदमी ने अगर कोई ऐसी बात लिख दी होगी, तो लिखने दो । जो उसकी मर्जी थी, वह उसने लिख दी और वह ऐसा लिखता रहे लेकिन आप यह देखिए कि महात्मा गांधी जी ने क्या लिखा था । उसको आप पढ़ें । वे क्या कहते हैं, वह मैं आप को बताता हूं । जिनको आप बुरा समझते हैं, उन्होंने 5 मई 1921 में 'यंग इंडिया' में क्या लिखा था, वह मैं आप को पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

> "Swaraj is a meaningless term, if we desire to keep a fifth of India under perpetual subjection and deliberately deny to them the fruits of national culture. We are seeking the aid of God in this great purifying movement, but we deny to the most deserving among His creatures the rights of humanity. Inhuman ourselves we may not plead before the throne for deliverence from the inhumanity of others".

यह महात्मा गांधी ने 1921 में कहा था और उस वक्त स्वराज नहीं मिला था ।

उन्होंने कहा था कि यह बहुत इनह्यूमन है, जो हरिजनों के साथ ऐसा किया जाता है। हरिजन, जो देश का पांचवा हिस्सा हैं, उनके साथ बदसुलूकी करते हैं, तो इसको हमें मिल कर दूर करना चाहिए। जो गलत लिखा है, उसकी बात को आप छोड़िये, उसमें कुछ नहीं है। महात्मा गांधी जी ने जो इसके लिए लड़ाई की है, उस तरह की लड़ाई आप को भी करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानन्द ने कहा था :

> "Be in good cheer and believe that we are selected by the Lord to do great things and we will do them. Hold your self in readiness ; that is to be pure and holy and love for love's sake, love the poor the miserable, the down-trodden, God will bless you."

महात्मा गाँधी गरीबों के साथ थे और वे लोग उनकी इज्जत करते थे। इसलिए अंग्रेज भी उनसे मुकाबला न कर सके और उनको यहां से भागना पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हरिजन हैं, न उनके पास मकान है, न दुकान है, न जमीन है और न आसमान है और उन के लिए महात्मा गांधी जी का मिसाल ले कर लड़ाई करने के लिए आप को तैयार रहना चाहिए। यह जो 20 प्वाइंट प्रोग्राम सरकार ने चलाया है, इसको बड़े लोग कहां इस मुल्क में चलने देते हैं और अगर नहीं चलने देते, तो इसके लिए लड़ाई करनी चाहिए। आज जमाना बदल गया है। आज किस से मदद आप चाह रहे हैं। आज लोग आपस में लड़ रहे हैं और जमीनों के कब्जे के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। महात्मा गांधी जी के पास क्या था? कुछ नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने इन गरीबों के लिए इतना किया और देश के लिये इतना किया। आज आप को लीड लेनी है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब हिन्दुस्तान का प्रेसीडेंट एक हरिजन होगा, तब मै समझूंगा कि हरिजनों के लिए कुछ हुआ है। आप को इसके लिये तैयार हो जाना चाहिए। तभी सोसाइटी ठीक हो सकती है।

मैं आपको बताऊं कि जब मैं मिनिस्टर था, तो मैंने अपने अफसरों को कहा था कि आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी से आप को काम करना चाहिये और लोग यह न चाहें कि कोई अच्छा हरिजन अफसर लाओ जो हमें राहत दे। तो आपको ऐसा होना चाहिए। आप सोसायटी से लड़ाई नहीं कर सकते, सोसाइटी का जो ढंग है, उसको नहीं बदल सकते क्योंकि न आप के पास पैसा है और न जमीन है। जो सोसाइटी को कुछ देता है। वह लीड करेगा और जो सोसाइटी से लेता है, ही विल वी डूम्ड, ऐसा मेरा विचार है। वे मर रहे हैं। उन्हें हमें बचाना चाहिए। हमें ऐसा उपाय करना चाहिये कि ऊंचे उठें।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : इन्होंने कहा है कि जब ये मिनिस्टर थे तो इन्होंने यह कहा था कि 'चोरी करो, लूट करो'।

श्री सुन्दर सिंह : मैंने यह कहा ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं कैसा आदमी हूं। जब मुझे मिनिस्ट्री मिली थी तो मैं जवाहर लाल जी के पास गया था और मैंने उनसे कहा था कि मुझे मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, मुझे जमीन चाहिए। क्योंकि जिसके पास जमीन होती है। उसके पास लाठी होती है। जवाहर लाल जी ने मुझे जमीन दी थी। जमीन होने से लाठी पास में आती हैं। अगर कोई हमें दो को मारेगा तो हम चार को मारेंगे।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें किसी दूसरे का कुसूर नहीं है, यह हमारा ही कुसूर है। हम मैम्बर बन गए, मिनिस्टर बन गये। हम सब कुछ तो बन गये फिर क्यों हमें यह सब करना है। आप कहते हैं कि हमारी 20 करोड़ की आबादी है, वह है।

लेकिन महात्मा गांधी ने हमारे बारे में कहा था कि 'यू आर दी लीडर आफ दी फ्यूचर'। हम 20 करोड़ आदमी बहुत आगे जायेंगे क्योंकि हम सोसाइटी को देते बहुत ज्यादा है और सोसायटी से लेते बहुत कम हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : You would have read the motion moved by Shri Shastri. Pleased confine your speech to that.

श्री सुन्दर सिंह : अगर हमें लड़ाई करनी है तो महात्मा गाँधी के उसूलों के मुताबिक लड़ाई करो। महात्मा गांधी इंसानी तौर पर इतने ऊंचे थे कि उन्होंने अंग्रेजी को यहां से निकाल दिया। उन्हीं के मुताबिक चल कर जो हम पर ज्यादती करता है, उसको परे फेंको। हम आगे आएं और महात्मा गाँधी के दिखाये हुए रास्ते से आगे बढ़ें।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल की कोई जरूरत नहीं है।

श्री हीरालाल आर· परमार (पाटन) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं शास्त्री जी का आभारी हूं कि वे पिछड़े वर्ग पर होने वाले अन्याय को मिटाने के लिये एक बिल लाये हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं।

इस बिल पर बोलते हुए मैं गुजरात की समस्या आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आज सारे देश में धार्मिक असमानता, सामाजिक असमानता और राजनीतिक असमानता बढ़ रही है। फिर गुजरात में अनुसूचित जातियों के ऊपर पिछले सात सालों से एक भारी समस्या आ खड़ी हुई है। वह समस्या यह है कि गुजरात में मोची जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया गया है। सारे देश में इस तरह की जाती अनुसूचित जाति में नहीं है।

गुजरात में मोची जाति को ऊंची जाति के बराबर अधिकार मिले हुए हैं। वे पढ़े-लिखे लोग हैं। वे ऊंची जातियों, ब्राहमणों, राजपूतों की बस्ती में रहते है। वे मन्दिर में जा सकते हैं। वे लोग कच्चे चमड़े का काम नहीं करते हैं। वे मरे हुए पशुओं को नहीं उठाते हैं। वे लोग कच्चे चमड़े को छूते तक नहीं हैं। इस जाति को पिछले सात सालों से अनुसूचित जाति में शामिल करने की वजह से वहां अनुसूचित जातियों पर अन्याय हो रहा है।

मैं कहना चाहता हूं कि इस मोची जाति के अनुसूचित जाति में आने के बाद ही गुजरात में आरक्षण और जातिवाद के नाम पर बैमनस्य उत्पन्न हुआ। इस जाति को अनुसूचित जाति में से निकाला जाए।

भारतीय संविधान में जो आरक्षण अनुसूचित जाति के लोगों को मिला है उसका मैं पिछले साल का उदाहरण देना चाहता हूं। मैडीकल कालेज में 11 सीट अनुसूचित जाति को आरक्षण के लिए मिली थी। इसमें 9 सीटें मोची जाति को दी गई और बाकी तीस जातियों, बुनकर, चमार, गड़ी, भंगी नाड़िया आदि के लिए दो सीटें मिली। यह अन्याय आज पिछले सात साल से चल रहा है। इस पर सन 1981 में गुजरात की रूलिंग पार्टी और विपक्ष के 26 सदस्यों ने एक आवेदन पत्र प्रधानमन्त्री जी को दिया था कि गुजरात में मोची जाति अछूत नहीं है। ये तो बल्कि हरिजनों के साथ छुआ-छूत का व्यवहार करते हैं। इसके बावजूद गुजरात में इसको अछूत मानकर हरिजनों के साथ अन्याय किया जा रहा है।

1978 में छटी लोक सभा में 27 फरवरी 1978 को सरकार की तरफ से बिल आया था जिसमें गुजरात में मोची जाति को अनुसूचित जाति में से निकालने का प्रावधान था। लेकिन छटी लोक सभा भंग होने की बजह से बिल संप्स हो गया। आज परिस्थिति हमारे लिए बहुत कठिन है।

गुजरात में सन 8981 में जो एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट चला उसमें 3 करोड़ रुपए का गुजरात में नुक्सान हुआ। 42 नौजवानों को मारा गया और जातिवाद 1981 में इतना बढ़ गया है कि हरिजनों के साथ दफ्तरों में, राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर अन्याय हो रहा हैं। इसलिए मोची जाति को मैं हरिजनों से अलग रखने की मांग करता हूं। सारे देश की बात तो मैं नहीं जानता लेकिन हमारे यहां जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर आज भी मेरे संसद सदस्य होने के बावजूद मैं वहां चारपाई पर नहीं बैठ सकता, और अनुसूचित जाति के लोग कुंए पर नहीं जा सकते, मन्दिर में नहीं जा सकते।

पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है लेकिन गुजरात में यह आरक्षण का लाभ मोची जाति उठा रही है। गुजरात के दलितों को न्याय देने के लिए संसद से मांग कर रहा हूं। आज सामाजिक असमानता का कारोबार गुजरात में चल रहा है। आज गुजरात में राजनीतिक स्तर पर जिला, पंचायत, तहसील, और सरकारी नौकरियों में मोची जाति को रिजर्वेशन दिया जाता है। बीस सूत्री कार्यक्रम में मिलने वाले लाभों को भी वे लोग ले रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस जाति को अनुसूचित जाति की लिस्ट में से निकाल कर हम लोगों को न्याय दिलाया जाए।

मैं माननीय सदस्य श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री जी का आभारी हूं जो ये बिल सदन में लाए हैं और आपका भी आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का समय दिया।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष जी, जो विधेयक हमारे माननीय सांसद श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री इस सदन में लाए हैं, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूं। संविधान बनाने वालों ने बड़ी गहराई से सोच समझकर हमारे इस संविधान को बनाया था। आर्टिकल 14-15 में लिखा हुआ है :

Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth.

आर्टिकल 16-17 और 18 में लिखा हुआ है :

Equality of opportunity in matters of public employment; Abolition of untouchability; Abolition of titles.

इसके बाद कानून पर कानून बने कि इस देश में सभी इन्सानों को बराबर दर्जा दिया जाए। आजादी के 36 वर्षों बाद भी हमारी हालत जात-बिरादरी और छुआछूत के मामले में वही ही है। इन्सान, इन्सान का शोषण कर रहा है। इसमें राजनीति और राजनीतिज्ञों का भी बड़ा हाथ है जो जात-बिरादरी के नाम पर जीतकर आना चाहते हैं और इस देश की सत्ता को हथियाना चाहते हैं। हिन्दू धर्मग्रन्थ तथा अन्य धार्मिक साहित्य(पुनरीक्षण एवं संशोधन)विधेयक, 1983 शास्त्री जी लाए हैं, इसमें इनकी मंशा यह है कि जितनी भी इन्सान और इन्सान के बीच में नफरत और छुआछूत फैलाने वाली चीजें हजारों साल पहले चाहे मनु या धर्म के ठेकेदारों ने कही हों, आज इस संविधान के लागू होने के बाद भी इस देश में चल रही हैं। इस सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे सख्ती के साथ प्रतिबन्ध लगाया जा सके। हमारे परमार साहब ने गुजरात आन्दोलन की बात कही। आरक्षण विरोधी आन्दोलन को लेकर 1700-1800 गरीब हरिजनों के घरों में आग लगा दी और उनके हाथ-पैर तोड़ दिए गए। 36 साल की आजादी के बाद भी पिछड़ा हुआ समझकर लाठिया चलायी जाएं और घर खाली करा दिए जाएं तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? उसके बावजूद भी आप हिन्दुस्तान को दुनिया के नक्शे पर ऊपर लाना चाहते हैं। इस मुल्क के 15

प्रतिशत लोग सत्ता में हर तरीके से मालिक बने बैठे हैं और बाकी के 85 प्रतिशत को जानवरों से भी बदतर समझा जाता है। इस देश के दबे-पिसे और शोषित लोग जिस दिन देशद्रोही हो जायेंगे, उस दिन से आपकी जम्हूरीयत नहीं चल सकेगी। उड़ीसा, केरल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल में ऐसे लोग हैं जिनके पास जीविकोपार्जन के साधन नहीं हैं। मैं उड़ीसा गया था। वहां मैंने देखा कि हरिजन और आदिवासी खेत में काम करके इस मुल्क को अनाज देते हैं। लेकिन, उन लोगों को तालाबों में जाकर कीड़े-मकोड़े और दूसरी चीजें खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वहां पर मजदूरी के नाम पर ढाई हाथ भरकर धान मिलता है। उन लोगों को 12 घन्टे से ज्यादा काम करने पर मजबूर होना पड़ता है। इस मुल्क की कल्पना सही मानें में कहना चाहते हैं तो आदिवासियों हरिजनों को 50 परसेंट नौकरियों में स्थान देने पड़ेंगे और इसी तरह से जमीन, खेत, कारखाने और दूसरे सामनों में भी देने पड़ेंगे। उनकी अर्थ-व्यवस्था में सुधार आवश्यक है।

जो चीजें हमारे धर्म साहित्य में हैं जैसे शतपथ ब्राह्मण के एक मन्त्र के अनुसार शूद्र को सोमरस नहीं पिलाना चाहिए, शूद्र से बात नहीं करनी चाहिए। पंचविश ब्राह्मण एवं एतरेय ब्राह्मण के अनुसार शूद्र को कोई अधिकार नहीं, वह दूसरों का सेवक है, आपस्तंभ-धर्म सूत्र के अनुसार शूद्र तथा पतित शमशान की तरह है, आदि आदि, यह बातें बिल्कुल निरयर्थक हैं आज के जमाने में। ऐसी बातों को पढ़ाया जाना हमारे देश की एकता के विपरीत है। शूद्र स्त्री के साथ व्यभिचार का दंड केवल ग्राम निकाला, ब्राह्मण या द्विजस्वी के साथ व्यभिचार का दंड प्राण दंड, ऐसी बातें ईक्वल पनिशमेंट और ईक्वल जस्टिस के सिद्धांत के विपरीत है। इस ततरह के धर्म साहित्य को चलाने वालों को गिरफ्तार करना चाहिए। आज इस मुल्क के अस्तित्व का सवाल है और वह तभी सुरक्षित रह सकता है जब सबको समान अधिकार हों।

होना यह चाहिए कि जो जहां काम करता है वहां उसे अधिकार होना चाहिए, जैसे जमीन, खेत, खानें जिनमें हरिजन आदिवासी अपना खून पसीना बहाते हैं, उन पर अधिकार भी उन्हीं का होना चाहिए। लेकिन आज उनकी स्थिति जानवरों से भी बदतर है, कीड़े मकोड़ों की तरह है। उनका न जन्म के समय नाम लेने वाला है, और न मरने के समय कोई नाम लेने वाला होता है।

जो लोग 85 प्रतिशत हैं चाहे मुसलमान, ईसाई, पिछड़ा वर्ग हो, 52 प्रतिशत चाहे हरिजन आदिवासी हों, 85 प्रतिशत से अधिक आबादी होने पर भी नौकरियों में इनका स्थान केवल 10, 11 परसेंट ही है और जिन की आबादी कम है उनका स्थान नौकरियों में अधिक है, यह सर्वथा अनुसूचित है। पिछड़ी बिरादरी के लोगों को कलेक्टर, एस० पी० बनाकर भेजते है उत्तर प्रदेश में तो वहां के मुख्य मन्त्री को देखना पड़ता है कि कितने बैकवर्ड शैड्यूल्ड कास्ट और मुसलमान आई० ए० एस० अफसर हैं। मुसलमानों की तो हरिजनों से भी बदतर स्थिति हो गई है।

शूद्र की उपस्थिति में वेद न पढ़े जिस धर्म की धार्मिक किताबों में ऐसी बातें लिखी हों और जो ऐसी बातों का मन्दिरों या धर्म स्थानों में प्रचार करते हों उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए क्योंकि संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार इस तरह की बातों का प्रसार और प्रचार करने का या किताबों में लिखने का

किसी को अधिकार नहीं है। और जिन किताबों में लिखा हुआ है उनको वहां से निकालने का इस बिल में प्रोवीजन होना चाहिए । मैं तो शास्त्री जी से कहूंगा कि वह अपने बिल में इस बात का प्रौवीजन करें ।

16.00 Hours

इस आयोग की सिफारिशों के बाद अगर कोई धर्म का ठेकेदार, चाहे पुजारी हो या पंडा हो, चाहे हरिद्वार, इलाहबाद या जगन्नाथ पुरी का हो, उसके लिए सजा का इसमें प्रावीजन होना चाहिए । ऐसा आदमी जो हमारी आजादी और देश की एकता के लिए इन्सान इन्सान में नफरत पैदा करता है, उसके लिए सजा का प्रावीजन होना चाहिए । मैं तो कहना चाहता हूं कि देश की सभ्यता को खराब करने वाला, एकता को तोड़ने वाला और देश की संस्कृति में इन्सान-इन्सान को अलग करने वाला उसी तरह देश का गद्दार होना चाहिए जिस तरह से पाकिस्तान में या कहीं और उसे देशद्रोही का दर्जा दिया जाता है। उसे कम से कम आजीवन कारावास का दण्ड हो, ऐसा कानून में प्रावधान होना चाहिये । अगर सजा का प्रावधान नहीं करेंगे तो पंडे वगैर कुछ काम किये, इन्सान-इन्सान में नफरत पैदा करके, अंधविश्वास पैदा कर के, छुआछूत की भावना फैलाकर जातिवाद को मजबूत करके जो हराम को खा रहे हैं, मन्दिर-मठों में उनकी हराम की कमाई को आप बन्द नहीं कर सकते हैं तो उनके ऊपर आप कोई रोक नहीं कर सकते हैं । उनकी आमदनी पर प्रतिबन्ध होना चाहिये, आज वह विलासिता का जीवन बिता रहे हैं ।

मैं जिस जगह से चुनकर आता हूं, वह हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान हरिद्वार है । वहां करोड़ों-करोड़ों रुपये की बिल्डिगों में इनके मठ बने हुए हैं, उनके गेट पर जाइये, देशी-विदेशी कुत्ते मिलेंगे । जहां से उनको कुत्ता पसन्द आया वहां से ले आये, 10, 20 कुत्ते उनके गेट पर मिलेंगे, फिर रायफल वाला मिलेगा, फिर बन्दूक वाला मिलेगा फिर आप महन्त तक पहुंच सकते हैं । उनसे कोई साधारण आदमी मिल नहीं सकता है । आज देश की प्रधान मन्त्री से मिलने के लिए उतना कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा जितना हरिद्वार के धर्म के ठेकेदारों से मिलने के लिये उठाना पड़ेगा । वहाँ जाइये तो पहले उनका कुत्ता स्वागत करेगा, फिर बन्दूक वाला, फिर उनके बदमाश स्वागत करेंगे और फिर हरिद्वार के गुंडे आपका स्वागत करेंगे, तब जाकर आप उनसे मिल सकते हैं ।

धर्म के नाम पर हम इस देश की एकता के लिये एक और आवाज उठा रहे हैं और दूसरी तरफ हरिद्वार, इलाहबाद, जगन्नाथपुरी आदि जगहों में बैठने वाले ये सब विदेशी जासूस सी आई ए के पैसे पर धर्म के नाम पर इस देश के लोगों को गुमराह करते हैं । सी आई ए के पैसे पर देश में जातिवाद को मजबूत कर रहे हैं, हिन्दुस्तान में झूठे देवी-देवता खड़े कर के इस देश के लोगों को गुमराह करते हैं और साम्राज्यवादी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं । यह काम ये धर्म के ठेकेदार कर रहे हैं ।

भारत-माता का मन्दिर, जिसमें प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी गई थीं, हमने विरोध किया था कि उनको भारत-माता के मन्दिर के उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए, जो मन्दिर सी आई ए के पैसे पर बना हो जिसका पुजारी सी आई ए का आदमी हो वहां सी आई ए वाले लाखों करोड़ों रुपया लगायें, और इस मुल्क के प्रधान मन्त्री उसका स्वागत करें, यह ठीक नहीं । प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को हम देशी और विदेशी नीति के

मामले में प्रगतिशील मानते हैं, लेकिन अगर ** प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी इस तरह के मन्दिर का उद्घाटन करें तो इससे ज्यादा गलत बात हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती । आज बाल योगेश्वर;

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : जो बिल है उस पर बोलें, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : आप क्यों परेशान हैं ? स्पीकर साहब व्यवस्था देंगे ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : गलत बात है ।

(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Whenever and hon. Member of speaks, let him not make any personal remarks about others.

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : सही बात कड़वी होती है ।

श्री राम प्यारे पनिका : अगर यह सही बात है तो आज हिन्दुस्तान में** चौधरी चरण सिंह हैं और उन्होंने नापाक सम्बन्ध वाजपेयी जी से किया है । देश में एक आग फैलाना चाहते हैं । वह देश की सद्भावना को तोड़ना चाहते हैं । इस पार्टी पर रोक लगनी चाहिए । आज दुनिया जानती है कि इन्दिरा जी देश में सद्भाव लाने के लिये क्या-क्या प्रयत्न कर रही हैं । आपके इस भाषण से थोड़े ही कुछ होगा ।

MR DEPUTY-SPEAKER : Let personal remarks be avoided.

**Not recorded

Pleased don't make personal remarks about any Hon. Member belonging to any particular community.

श्री जगपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति-विशेष पर कटाक्ष करना नहीं है । अगर श्रीमती इन्दिरा गांधी इस देश की प्रधान मन्त्री नहीं रहेंगी, तो वह रोज जा कर मन्दिर में बैठी रहें, हम एक लफज भी नहीं कहेंगे । भविष्य में अगर कोई और प्रधान मन्त्री होगा और उस समय सी आई ए के द्वारा फीड किए हुए धर्म के ठेकेदारों और मठों के मालिकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो हम उसका भी विरोध करेंगे । पत्रों के एडिटोरियल में कहा गया कि प्रधान मन्त्री को भारत माता के मन्दिर में नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वह वहां गई ।

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : क्या प्रधान मन्त्री को इनकी नीतियों और इनके निर्देशन पर चलना होगा ?

श्री जगपाल सिंह : जो लोग देश की गवर्नमेंट में हैं, उन्हें देश की भावनाओं का ख्याल रखना होगा । प्रधान मन्त्री देश की मसीहा नहीं हैं । इस बारे में बड़ी गलतफहमी है । श्रीमती इन्दिरा गाँधी केवल इनकी ही नेता नहीं हैं, वह पूरे सदन की नेता हैं । क्या श्रीमती इन्दिरा गांधी के बारे में केवल इन्हीं को कहने का अधिकार है, मुझे कहने का अधिकार नहीं है ? वह केवल इन्हीं की प्रधान मन्त्री नहीं हैं, वह मेरी भी प्रधान मन्त्री हैं, इस देश के एक-एक नागरिक की प्रधान मन्त्री है । इसलिए जितना अधिकार इन्हें उनका समर्थन करने का है, उससे ज्यादा अधिकार मुझे उनकी गलत नीतियों का विरोध करने का है । **(व्यवधान)** यह अधिकार संविधान

में दिया गया है। यह इनके बूते से बाहर की बात है कि यह विरोधी पक्ष के इस अधिकार को छीन सकें।

एक तरफ इस मुल्क की सामाजिक स्थिति को खराब किया जा रहा है और दूसरी तरफ सरकार के संरक्षण में सी आई ए और साम्राज्यवादी ताकतों को धर्मस्थानों के माध्यम से देश की धरती पर बुलाया जा रहा है। मैं शास्त्री जी से कहूंगा कि वह एक बड़ा विधेयक लाकर यह प्रावधान भी करें कि सी आई ए, विदेशी साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा पैसा दे कर इस मुल्क में धर्मस्थानों को नहीं चलने दिया जाएगा।

माननीय सदस्य, श्री वाजपेयी, बैठे हुए हैं। वह चाहते हैं कि इस तरह के संकीर्ण दृष्टिकोण को खत्म करना चाहिए। हर देश भक्त और मानवता के प्रेमी का कर्त्तव्य है कि इन बुराइयों का अन्त किया जाए। विष्णु स्मृति के अनुसार यदि शूद्र ऊंचे आसन पर बैठ जाए, तो उसके वटबस को दाग कर देश से निकाल दिया जाए। अगर हिन्दुस्तान के साढ़े 22 करोड़ शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज इस तरह की किताबों को बर्दाश्त करते हैं, तो यह उनका धैर्य हो सकता है। मैं समझता हूं कि जिस दिन वह खड़े हो गए उस दिन इन सारे धार्मिक साहित्यों को फूंक देंगे, उन की इस देश के चौराहों पर होलियां जला देंगे जिन में यह लिखा हो कि अगर ऊंचे स्थान पर शूद्र बैठा हो तो डाट कर उसे देश से निकाल दिया जाय। क्या यह देशद्रोह नहीं है? क्या यह देश की एकता के विरुद्ध नहीं है? ऐसी चीजों को देश की एकता के विरुद्ध मानकर, देश की एकता को तोड़ने वाला मानकर इन को उस में से निकालना चाहिए।''' (व्यवधान)

"शूद्र बालग को शिक्षा हेतु कुछ बताए तो उस के मुख में गरम तेल भरवा दे। आप अन्दाजा लगाइए कि क्या दुनिया के किसी और मुल्क में इस तरह की चीजें बरदाश्त हो सकती हैं? सत्ता में बैठने के बाद सही लोग अपने अपने देश की इन चीजों को, संकीर्णतावादी चीजों को निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन यह हमारा ही देश है जिस देश के अन्दर ये चीजें बर्दाश्त होती हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Jagpal Singh Ji, these writings belong to the very primitive age. Now, nobody can do it. The law will not allow it to be done to anybody. These belong to primitive age. The law is there, the law will take care of it to see that nothing is done against any community.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (New Delhi) : Our constition is the latest Smriti, and we abid by it and by no other Smriti, That should be understood by our friends. But you allow them to speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER : These things belong to the primitive age.

श्री जगपाल सिंह : मैं माननीय वाजपेयी जी की इस बात को मानता हूं। लेकिन एक तरफ हमारा कांस्टीच्यूशन है''।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now we are bound by the Constitution. Nobody can discriminate in the name of caste, colour creed and all that.

श्री जगपाल सिंह : मैं वही सवाल उठा रहा हूं कि आज भी अगर कुछ किताबों के द्वारा उन को कान्टीन्यू रखा जाय तो वह हिन्दुस्तान कांस्टीच्यूशन के खिलाफ है, उन को नहीं मानना चाहिए, उन को रिजेक्ट कर देना चाहिए बाइ ला, बाइ पार्लियामेन्ट, बाई लेजिस्लेशन, बाइ विधान समाज उनको रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। यह कहना

चाहिए कि हिन्दुस्तान के कांस्टीच्यूशन के रहते हुए ये चीजें नहीं रहने दी जाएंगी। ऐसी चीजों के खिलाफ सख्ती से कानून बने और आज जो उन को मानते हों, जो उनको पढ़ाते हों क्या वह हिन्दुस्तान के कांस्टीच्यूशन के अगेंस्ट मान सकते हैं ? ये चीजें कांस्टीच्यूशन के अगेंस्ट मानी जानी चाहिएं।

इसी विष्णु स्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण को मंगलकारी, क्षत्रिय को बलशाली, वैश्य को वैभवशाली और शूद्र को निन्दाकारी नाम रखना चाहिए और वह नाम आज भी रखे जाते हैं। बिहार, उड़ीसा या और किसी पिछड़े प्रदेश में जाइए, आज भी शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी अपने नाम के साथ सिंह नहीं लिख सकता। अगर कहीं किसी दूसरे प्रदेश में जा कर रख भी लेगा तो वह अपने गाँव में जाकर अपने नाम के साथ सिंह नहीं लिख सकता। क्या इस स्मृति का रेफ्लेक्शन आज भी हमारे समाज में नहीं है ? आज भी वह सामने चारपाई पर नहीं बैठ सकता है और आज भी अनटचेबिलिटी हो, तो यही साबित होता है कि इस तरह की चीजों को चलाने वाले लोगों के खिलाफ हमारी सरकार ने कोई एफेक्टिव कदम नहीं उठाया है और उन कानूनों को इम्पलीमेन्ट नहीं किया है।

एक आपस्तम्भ धर्मशास्त्र है जिस में कहा है कि जैसे कुत्ता है वैसे ही शूद्र है। बताइए-जैसे कुत्ता है वैसे ही शूद्र है ? दोनों को ईक्वल कहा है। ···(व्यवधान)···पुरानी नहीं है। आज भी कुत्ते से प्यार हो सकता है, इस मुल्क के अन्दर ये जो गोरी-गोरी मेम हैं, ये कुत्ते को बड़े प्यार से चाटते हुए गाड़ी में बैठा कर ले जा सकती हैं लेकिन इन्सान के बच्चे से नफरत करती हैं, इन्सान के बच्चे को भूख से मरते हुए को रोटी नहीं दे सकती हैं, तो वह कास्टीइजम का, हमारे फ्यूडलिज्म का और अनटचेबिलिटी का ही रेफलेक्शन है और इस में हिन्दुस्तान की साम्राज्यवादी और पूंजीवादी ताकतों का हाथ है। हमारी फ्यूडल सोसायटी की जितनी भी इस तरह की चीजें थीं उनको बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से जिन्दा रखा जा रहा है। हमारी इस मौजूदा राजनैतिक व्यवस्था में उन के मुंह को इस का खून लग चुका है और ये चीजें रहेंगी। इस देश हैं ऐसे ऐसे लोग जो इन समस्याओं को न जानते हों, हवाई जहाज के चालक हों और रातों रात मुल्क के चालक बन जायें यह तभी हो सकता है जब यहाँ जातिवाद हो, छुआछूत हो, यहाँ इन्सान-इन्सान के बीच खाई पड़ी हो। यह तब तक ही सम्भव है वरना यह सम्भव नहीं हो सकता है। इसमें कहा गया है कि किसी शूद्र द्वारा वेद सुन लेने पर उसके कानों में पिघला हुआ सीसा भरवा देना चाहिए। यह चीजें जो हैं वह अगर समाप्त हो जायें या सिर्फ किताबों में ही पड़ी रहें, तो हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन साहित्य के द्वारा इन चीजों को आज भी जिन्दा रखा जा रहा है, इसपर हमारा आक्षेप है। यदि समाज में इसका इस्तेमाल न हो, इन्सान-इन्सान के बीच में यह रोड़ा न बनें तो कोई आपत्ति नहीं है लेकिन दुःख इस बात का है कि आज भी इन चीजों को मजबूती के साथ जिन्दा रखा जा रहा है। राजनीति में बैठे हुए लोग इन चीजों को और भी ज्यादा जिन्दा रख रहे है। इस लिए यहां पर जो विधेयक आया है उसका मैं पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं। इसमें यह भी कहा गया है कि वेदों के शब्द उच्चारण करने पर शूद्र की जिब्हया काट लेनी चाहिएं। या सारी चीजें इन किताबों में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, डा० अम्बेदकर ने संविधान बनाते समय गांधी जी से पूछा था कि मनुस्मृति में जो वर्ण-व्यवस्था है, क्या आप उसके खिलाफ हैं तो गांधी जी ने कहा था कि वर्ण-व्यवस्था तो हिन्दू रेलिजन की बैक-बोन है, रीढ़ की हड्डी है। इसपर काफी मतभेद

रहा। मैं गांधी जी की कोई आलोचना नहीं करना चाहता (**व्यवधान**) और मैं गांधी जी को भगवान या देवता भी नहीं मानता। वे देश भक्त थे और राष्ट्र पिता हैं लेकिन उन्होंने अगर कोई गलत बात कही हो तो उसके लिए मैं क्या कहूं? बहरहाल मैं इसपर कोई कन्ट्रोवर्सी नहीं बनना चाहता लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि मनु और इस वर्ण-व्यवस्था से पहले इस देश में आर्यन्स और द्रावीडियन्स की कल्चर में एक समझौता हुआ था कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे और एक दूसरे के देवी-देवताओं को पूजेंगे। एक और अगर विष्णु की पूजा हुई है तो दूसरी ओर शिव भी पूजे गए हैं। लेकिन हजारों साल के बाद भी आज अगर इस तरह की चीजें जिन्दा हैं तो उसका कारण यह है कि साहित्य में वह जिन्दा रही हैं। इसलिए आज हम चाहते हैं कि इस देश के जो 85 प्रतिशत पिछड़े और दबे हुए लोग हैं, वे चाहे फिर किसी भी धर्म के क्यों न हों, उनको उनके सही हक मिलने ही चाहिए। आज यदि देशभक्ति का सही विश्लेषण किया जाय तो आप देखेंगे कि आज हरिजन, आदिवासी या माइनारिटीज में जो सबसे बड़ा बेईमान भी है वह तुलनात्मक दृष्टि से ऊंची सत्ता में धर्म के ठेकेदार बनकर बैठने वाले बड़े से बड़े ईमानदार से भी कई गुना अच्छा है क्योंकि वह एक देशभक्त है और इस देश की एकता में विश्वास रखता है। कई हजार वर्ष से दबे होने के बाद भी आज वह पक्का देशभक्त है, देशप्रेमी है और 18-18 घंटे काम करने के बाद भी वह बगावत करने की बात नहीं सोचता है। यदि ये सब चीजें चलती रहीं तो देश की एकता खतरे में पड़ सकती है। हम यह नहीं चाहते हैं। लेकिन पेट की आग, पेट की भूख देशभक्त को भी गद्दार बना दिया करती है। अगर आपने यह सब चीजें चलाई।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : कौन चला रहा है?

श्री जगपाल सिंह : आप चला रही हैं। आप खुद इसकी हिस्सेदार हैं। श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी यहां नहीं हैं। आप जानती हैं, आज जो इस देश के उच्च पदों पर बैठता है, वह हरिजन के हाथ का पानी नहीं पी सकते हैं। ऐसे लोगों को तो संविधान में शपथ लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : कौन है? अटल कुमार वाजपेयी ऐसा नहीं हो सकता है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अटल कुमार वाजपेयी नहीं राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनको नजदीक से जानता हूं। इनका आरोप बिल्कुल गलत है। वे खुद छुआछूत नहीं मानती हैं। मैं उनके स्वभाव को जानता हूं, भावनाओं को जानता हूं, उन्होंने हरिजनों और दलितों को ऊपर उठाने का काम इलाहाबाद में किया है। बल्कि यहां पर जिस स्तर पर हैं, उस स्तर पर किया है। उत्तर-प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा थी, तब भी उन्होंने काफी काम किया था। इसलिए इनका यह आरोप बिल्कुल गलत है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपने कभी श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी को दावत दी है। उनको कभी अपने हाथ से पानी पिलाया है।

श्री राम प्यारे पनिका : बिल्कुल दिया है। जब वे उत्तर-प्रदेश में मन्त्री थी, तब मैंने ही अपने क्षेत्र में उनका कार्यक्रम रखा

था . मैं उनको जानता हूं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है । यह राजनीतिक भाषण दिया जा रहा है । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, जरा आप समय का ख्याल रखिए ।

···(व्यवधान)···

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Jagpal Singh, you are opposing only a system. But you should not bring in any name or personality. You oppose the system. But you should not bring in any name or personality who are in that system without their knoweledge.

Mr. Rajnath Sonkar Shastri, I do not know how I was made a Hindu. I was born and then I was told that I belonged to the Hindu Community. Therefore, I am not responsible for belonging to any religion or anything. Therefore, don't bring in personality. If you oppose the system, you are entitled to do it and our country is democratic. You preoch your own system. But you don't bring in any personality.

SHRI RAM PYARE PANIKA : Therefore, I will have to reply ...

MR. DEPUTY SPEAKER : You will be called later. Your name is here. Personal remark against anybody should not be made.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : One should avoid it.

MR. DEPUTY SPEAKER : He is a very capable orator. He knows it.

श्री जगपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं । मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इन सब चीजों को निकालने का तरीका सोचे और एक तरीका माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जो इशारों-इशारों में बता रहे हैं । हम सभी लोग सामाजिक व्यवस्था में बैठने वाले लोग, राजनीति में बैठने वाले लोग अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझें, तब जाकर इस मुल्क की सबसे बड़ी सेवा होगी । इस मुल्क से जिस रोज कास्टीज्म खतम हो जाएगा, जातिवाद चला जाएगा, इस मुल्क में इन्सान-इन्सान से नफरत करना बन्द कर देगा, तो चाइना ने दो साल बाद हम से आजादी प्राप्त करने के इतनी तरक्की की है, हम आने वाले दस साल में चाइना से ज्यादा तरक्की कर सकेंगे । लेकिन देश की व्यवस्था में इन्सान का पार्टिसिपेशन न हो, मानव शक्ति का सही इस्तेमाल न हो, इसलिए मानव शक्ति के सही इस्तेमाल के लिए, इस मुल्क की समस्याओं को निपटाने के लिए यदि किसी योजना में एक हजार आदमी लगते हैं तो वहां बीस हजार आदमियों को लगाइए, तब जाकर इस देश की गरीबी खत्म होगी । इस देश के लोग बड़ी-बड़ी योजनाओं में इकट्ठे रह कर, इकट्ठे काम करके, इकट्ठे खाकर के, इकट्ठे इस देश की समस्याओं से झूझकरके इस मुल्क की सामाजिक व्यवस्था में बदलाव ला सकते हैं । लेकिन उस रास्ते पर हमारी सरकार चलना नहीं चाहती है । इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस व्यवस्था को मौजूदा सरकार मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को लाने में अपने को मजबूर समझता है, क्योंकि हम सभी लोग कहीं न कहीं से उस मशीन के पुर्जे बने हुए हैं । जब तक हम उस मशीन के पुर्जे बने रहेंगे, तब तक उस मशीन को नहीं तोड़ पायेंगे । इसलिए मैं आपके माध्यम से इस बिल का समर्थन करते हुए, आपसे प्रार्थना करता हूं कि सरकार ही अपनी तरफ से इस तरह का कोई बिल लाए, ताकि इस देश के लोग बराबर रह कर, ···ताकि इस देश के लोग बराबर रहें, समान रह कर एक दूसरे से प्यार और मौहब्बत कर के इस मुल्क के विकास में हाथ बटायें । आबादी के हिसाब से जिन का जो हक बनता है, योग्यता के

हिसाब से जो हक बनता है, उस हिसाब से अधिकार दिलाने का काम करें ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर इस विधेयक सदन के सामने लाने वाले माननीय सदस्य श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री जी का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं । उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है जो इस तरह का विधेयक इस सदन में लेकर आये—इस के लिए मैं विशेष रूप से उन को धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूं ।

MR. DEPUTY SPEAKER : Hon. Members, the time allotted for this bill is 2 hours. Now, the 2 hours, time is exhausted. There are still 3 or 4 members to speak. The time allotted for the Bill is over. Do you want to extend the time for the Bill?

SOME HON. MEMBERS : Yes.

MR. DEUPTY SPEAKER : By how much?

श्री हरीश कुमार गंगवार : दो घंटे बढ़ाये जांय ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि यह बहुत गम्भीर बिल है, इस पर अनेक सदस्य बोलने वाले हैं, इसलिए दो घंटे भी कम होंगे, मैं चाहता हूं कि चार घन्टे और दिये जांय ।

MR. DEPUTY SPEAKER : Not 2 hours. Let us first extend it by 1 hour. If we are not able to complete it, then we will see. So, the time is extended by 1 hour. Shri Panika.

श्री हरीश कुमार गंगवार : मन्त्री जी तो हमारा लंच-आवर भी खा जाते हैं, इसलिये हमको दो घन्टे और दीजिये ।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी विडम्बना की बात है कि जिस देश की संस्कृति आदर्शवाद पर आधारित हो जहां "सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः" का आदर्श सर्वोपरि रहा है, वहां स्वतन्त्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद इस तरह का बिल लाया गया है । यह बात सही है कि भारत अपने तमाम ऋषियों, महऋषियों सन्तों के प्रति आभारी और गौरवान्वित रहेगा जिन्होंने पुराणों, शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों, रामायण, रामचरितमानस जैसे ग्रन्थों की रचना की हैं । इन महऋषियों, ऋषियों और सन्तों के चिन्तन की जो धारा रही है उसी का यह परिणाम है जो इस तरह की विचार-धारा जन-मानस के सामने आ सकी है । इस में कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है जो मानवता के खिलाफ हो । इस में यदि कहीं कोई विसंगति या विकृति आई है तो उस के कारण जो हमारे ग्रन्थ, उपनिषद् या वेद हैं हम उन की आलोचना नहीं कर सकते । इन्हीं ग्रन्थों के कारण हमारी संस्कृति का नाम सारी दुनिया में छाया हुआ है । हमारी प्रधान मन्त्री जी जब पिछले वर्ष यू० एन० ओ० गई थी, तब उन्होंने भारतीय संस्कृति की विशेषता बतलाते हुए कहा था कि हमारे वेद पुराण, उपनिषद्, 6 दर्शन हमारे देश की विशेषता रहे हैं । हमारे यहां विचारों की आज से नहीं बल्कि शुरू से ही स्वतंत्रता रही है और यह उसी का द्योतक है कि हम स्वतंत्र विचारों के रहे हैं । विभिन्न अवसरों पर हमारे ग्रन्थों की जो रचना हुई है यह उसी का नतीजा है कि आज हमारी धरती पर वैचारिक स्वतन्त्रता कायम हैं ।

यदि आप हमारे इन 6 दर्शनों के बारे में विचार करें तो आप देखेंगे कि कोई ईश्वरवाद को, कोई अनीश्वरवाद को, कोई योग को मानता है, लेकिन इन के अन्दर आपस में कहीं भी टकराहट नहीं है । यह ऐतिहासिक तथ्य

है। आप संत तुलसीदास को ही ले- जिस समय भारतीय संस्कृति कठिनाई में पड़ी हुई थी उस समय उनका प्रादुर्भाव हुआ था और उन्होंने अपनी वाणी से, अपनी रचना से उसको बचाया, इसलिये हम उनकी आलोचना नहीं करते। लेकिन जिस भावना से यह बिल यहां लाया गया है यदि उस भावना के अनुरूप माननीय सदस्य यहां चर्चा करें तो मैं उनका स्वागत करूंगा लेकिन हो क्या रहा है। माननीय सदस्य जगपाल सिंह जी चले गये, मैं उनको बतलाना चाहता हूं राजनीति में जातीयता और बिरादरी को कौन लाया ? चौधरी चरणसिंह, मान्यवर, हमारे लोकदल के नेता हैं···।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Names are being mentioned.

MR. DEPUTY SPEAKER : Don't mention.

श्री राम प्यारे पनिका : आदरणीय भूत-पूर्व प्रधान मन्त्री का नाम नहीं लेंगे, तो किस का लेंगे। उनका नाम तो जपना चाहिए। अभी जब हमारी प्रधान मन्त्री जी के बारे में बोला जा रहा था, तब आप नहीं बोले।

MR. DEPUTY SPEAKER : There is no personal remark.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : This is objectionable. To describe an Hon. Member of the House. .....

श्री राम प्यारे पनिका : मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में राजनीति में** चौधरी चरण सिंह ने किया। ये नेता वही हैं, जिनकी कांस्टीटुयेन्सी में हरिजन-ब्रोट नहीं डाल सकता था, यह अटल जी अच्छी तरह से जानते हैं और ये क्या करते हैं कि ** ···(व्यवधान)··· मुझे बोलने दीजिए। जब श्री जगपाल सिंह बोल रहे थे, तो आप ताली बजा रहे थे। क्या यह हकीकत नहीं है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप असामाजिक बात कर रहे हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : मैं सामाजिक बात कर रहा हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप चौधरी चरण सिंह के बारे में यह कह रहे हैं। क्या इन्दिरा गांधी ब्राह्मवादी नहीं हैं। ···(व्यवधान)··· जो वर्तमान मन्त्री मंडल है, उसमें कितने ब्राह्मण हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : देश में जो वातावरण खराब किया, वह किस ने किया। ···(व्यवधान)···यह जो प्रवृत्ति चली, यह कब से चली है। कुछ राज्यों में हिन्दुस्तान के जन मानस को भ्रम में डाल कर इन्होंने 1967 में संविद सरकारें बनाई थी। उस समय से यह चीज चली है और आप जानते ही हैं कि चौधरी चरण सिंह को ** कहा जाता है हिन्दुस्तान में और दुनिया में।···(व्यवधान)···

16.32 hrs.

(SHRI F.H. MOHSIN *in the Chair*,)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप बिल पर बोलें।

श्री राम प्यारे पनिका : मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं आप से कहना चाहता हूं, कि कुर्सी के लालच में उन्होंने जनता पार्टी को तोड़ दिया और मैं याद दिलाना चाहता हूं, वाजपेयी जी यहां पर बैठे हुए हैं, आर० एस० एस० की दोहरी सदस्यता का बहाना लेकर उस को तोड़ दिया। कुर्सी के लालच में ऐसा किया गया, क्या यह हकीकत नहीं है। ···(व्यवधान)···

** Not recorded.

**Expunged as ordered by the Chair.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या ये बातें रिकार्ड में रहेंगी ।

श्री राम प्यारे पनिका : रहेंगी ।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : ROSE—

MR. CHAIRMAN : Are you rising on a point of order ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरी व्यवस्था का प्रश्न है । क्या इस सदन में किसी आनरेबिल मेम्बर को** कह कर बुलाया जा सकता है ।

श्री राम प्यारे पनिका : लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं । जनता में यह आम धारणा है और यह एक एतिहासिक तत्व है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, किसी मेम्बर के विचारों से मतभेद प्रकट करना अलग बात है और यह सदन में होता रहा है लेकिन इस तरह से नाम देना शुरू कर देंगे, तो इस से इस वाद-विवाद की गरिमा नहीं बढ़ेगी ।

श्री राम प्यारे पनिका : अभी जब राजीव जी का नाम लिया जा रहा था, तब आप नही बोले । हवाई जहाज चलाने वाला कह कर

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इन दोनों में फर्क है । हवाई जहाज चलाने वाला कहना कोई बदनामी नहीं है ।

MR. CHAIRMAN : I will look into the records. It is not in good taste to have.....

(Interruptions)

**Expnuged as ordered by the Chair.

MR. CHAIRMAN : If it is defamatory or objectionable, I will look into the record and I will get it removed.

श्री राम प्यारे पनिका : मैं यह कह रहा था कि स्वतन्त्रता के बाद ये सारे-कार्यक्रम चल रहे हैं और राजनीतिक झंझावाद इस देश में चला । मैं याद दिलाना चाहता हूं । मैं नाम नहीं लेना चाहता । कुछ सदस्यों ने अभी कहा था कि कौन प्रधान मन्त्री बनना चाहता है । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश में जितने उधर बैठने वाले हैं, विरोधी दलों के जो नेता हैं, सभी ने अपने पुत्रों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है चाहे वे कांग्रेस (ज) के नेता हों, चाहे हमारे चौधरी चरण सिंह हों । श्री सोलंकी को, अपने दामाद को टिकट दिलाया और क्या-क्या किया । यही नहीं श्री ** ने ** राजनीति में लाने और देश का नेतृत्व दिलाने का प्रयास किया । हमारे जो देश के नेता हैं, विरोध पक्ष में बैठने वाले नेता हैं, जिन्होंने शादियाँ नहीं की हैं, वे अपने समर्थकों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं । हम जानते हैं कि हमारे देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं···

MR. CHAIRMAN : Mr. Panikka, please do not take the names of those people who cannot defend themselves here. No such name should go on record.

श्री राम प्यारे पनिका : मैं कह रहा हूं कि जिन परिस्थितियों में आज देश है, उनमें श्रीमती इन्दिरा गांधी है देश को सबल नेतृत्व प्रदान कर सकती हैं ।

वाजपेयी जी ने यह ठीक कहा है कि हमारे संविधान को बनाने वाले डा० अम्बेदकर थे । इसलिए ऐसे बिल की जो सोनकर जी लाए हैं, आज देश को कोई जरूरत नहीं

**Not recorded.

है । इस बिल से देश में दुर्भावना पैदा होगी, फिरकापरस्ती पैदा होगी । इन चीजों से हमें दूर रहना है । निश्चित तौर पर भारतवर्ष का जो संविधान है उसमें कोई ऐसी धारा नहीं है जिससे जातिवाद, छुआछूत और साम्प्रदायिकता पर चोट न होती हो । सभी धाराएं इन बुराइयों को समाप्त करने वाली हैं । जब हमारे सामने संविधान है तो हमें कुछ पुरानी चीजों का हवाला देकर ऐसा बिल नहीं लाना चाहिए ।

आप हमारे धर्मग्रन्थ उपनिषद् को ले लीजिए । मैंने वेदों को भी पढ़ा है । कहीं उनमें भेदभाव की बात नहीं है। हमारे यहां जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, वे अनीश्वरवादी धर्म हैं । उनमें भी कहीं भेदभाव की बात नहीं है । हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें कहीं भी कोई टकराहट नही है । हमारे जो धर्मग्रन्थ हैं जिनके प्रति इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था है, करोड़ों लोगों की भावना है, हमें उनकी आस्था और भावना का निरादर नहीं करना चाहिए और ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए ।

मंडल आयोग पर जब चर्चा हो रही थी तो उस समय भी मैंने कहा था कि बुद्धि किसी की बपौती नहीं । अगर देश में सन्त तुलसीदास, कबीरदास हुए हैं तो सन्त रविदास भी हुए हैं । हमारे यहां कानून बनाने वाले डा० अम्बेदकर भी हुए हैं । इस प्रकार के उदाहरण देश में विद्यमान हैं, फिर ऐसी बात क्यों हो । हम क्यों किसी की भावना को ठेस पहुंचाएं ?

मान्यवर, हमारे संविधान में समता का मूल अधिकार है । मैं यह मानता हूं कि उस समता के कोई मायने नहीं हैं जब तक सभी को समान अवसर प्राप्त करने के साधन प्राप्त न हों । अगर सबको समान अवसर प्राप्त करने के साधन सुलभ हो जाएं तो फिर देश में रिजर्वेशन की भी जरूरत नहीं है । अगर पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कम्पीट कर सकें तो उन्हें समान अवसर प्राप्त करने के साधन सुलभ हो गए, ऐसा हमें मानना चाहिए । लेकिन अभी यह स्थिति देश में नहीं है । इसलिए आवश्यक है कि देश को उत्तरोत्तर इस दिशा में आगे बढ़ाया जाए । हमारी सरकार दिन-प्रतिदिन शिक्षा में, चिकित्सा क्षेत्र में सुधार कर रही है । हमारे देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं । आप इस तरह का बिल लाकर लोगों का ध्यान दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं । यह नहीं होना चाहिए ।

मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं । मैंने वेदों को पढ़ा है । मैंने गीता को भी पढ़ा है । गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है--

सर्व धर्मान् परित्यज्यमामेकं शरणं व्रज
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।।

उन्होंने कहा है कि अगर किसी इन्सान को रास्ता न सूझता हो तो मेरी शरण में आओ, भगवान के चरणों में समर्पण करो । जो भगवान को समर्पित होगा वह कभी निकम्मा नहीं हो सकता । यह हमारी भारतीय संस्कृति की देन है, यही रामचरितमानस है ।

यह सभी जगह है । आज समय की आवश्यकता है कि इन राजनीतिक धन्धों को छोड़ कर इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया जाए । अन्यथा इन बातों का असर पंजाब, आसाम और जम्मू काश्मीर के मामलों पर पड़ सकता है । आप देखिए पंजाब में अकाली दल ने जो आंदोलन चलाया है उनमें भी इन्हीं संकीर्ण

बातों को लिया गया है। संविधान में सिक्खों की सलाह से ही उनको हिन्दू धर्म में रखा गया ताकि उनके पिछड़े वर्ग को आरक्षण की सुविधा मिल सके। इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि सिक्ख हिन्दुओं से अलग नहीं हैं।

देश की वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रीय एकता को कायम रखने के लिए, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए हमको काम करना चाहिए। जातियता की, साम्प्रदायिकता और क्षेत्रीयता की खिलाफत करनी चाहिए। जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर राजनीति को छोड़ना चाहिए। जाति और धर्म के नाम पर बनी पार्टियां इस देश में चल नहीं सकती हैं। पिछले चुनावों ने इस बात को साबित कर दिया है और आने वाला समय भी यही बताएगा।

हिन्दू एक संस्कृति है। उसमें छोटेपन की कोई बात नहीं है हिन्दुस्तान में वही संस्कृति चल सकती है जो सभी इन्सानों के प्रति सद्भाव रखती हो। इसलिए इसको राजनीति से दूर रखकर हमको गम्भीरता से विचार करना चाहिए। आज सामाजिक और सामाजिक चेतना की जरूरत है। कानून बनाकर काम नहीं हो सकता है। यदि कानून बनाकर धर्मपन्थों पर रोक लगाने की बात करेंगे तो इससे कटुता पैदा होगी, झगड़े पैदा होंगे। आज आपस में सहयोग और सदभाव पैदा करने की आवश्यकता है न कि दुराव। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*SHRI D.S.A. SIVAPRAKASAM (Tirunelveli): Mr Chairman, Sir, on behalf of my party the Dravida Munnetra Kazhagam, I rise to say a few words in support of The Hindu Scripteres and other religious literature (Review and Amendment) Bill, 1983 of my hon. friend Shri Rajnath Sonkar Shastri.

It has been enshrined in our Constitution that the Government would strive to establish a secular and casteless society in the country. Our Constitution secures to all citizens social. economic and political justice, freedom of thought, expression, belief, faith and worship. The Govenment has also been empowered to punish anyone preaching casteims, working against the principal of secularims and indulging in activities of religious fanaticism. The followers of Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism and Jainism have equal rights with statutory encouregement and support, like those of Hindus who form the majority. The books of Islam, Christianity, Buddhism, Jainism and Sikhism do not contain any words which create dissension among their followers, which sow the seeds of animosity among their followers.

It is really unfortunate that the Vedas and other religious scriptures of Hindusm should contain references to casteism. Manusmriti, which is the highest code of ethics for Hindu religion, states in many places that Brahmins can appropriate the property of Shudras without hesitation. In Ramayana it is said that even illiterate and ignorant Brahmin deserves to be worshipped and a shudra inspite of being a learned person, should not be worshipped. In Maitriyani Samhita, it is stated that shudras should got be allowed to milk a cow and they should not witness YAJNAS. In Panchvish Brahmana and Aitreya Brahmana, the reference is there that shudras are just like cremation ground and they are only to serve others. You will agree with me that such references will enrage the people who are not Brahmins.

Tamilnadu had the unique honour of having Thanthai Periyar E.V. Ramaswamy, who is popularly known as Thanthai Periyar, and who is the father of rationalism in the country, is the foremost social reformer of this century. He dedicated his life for the eradication of Brahminism, the bed-rock of

---

**The originl speech was delivered in Tamil.

casteism in the country. As saga of sacrifice supplemented by Arignar Anna and Dr. Kalaignar Karunanidhi has put Tamil Nadu in the pinnacle so far as social rejuvenation, is concerned. In sheer disgust Dr, Ambedkar and his followers left Hinduism and became Buddhists. But Thanthai Periyar till his last breath remained a Hindu and died a Hindu. He breathed social equality. He worked for the cradication of BRAHMANEEYAM. He realised his dream of social equality before his demise.

Arignar Anna become the first Chief Minister of D.M.K. Government in Tamil Nadu. He was followed by Dr. Kalaignar Karunanidhi, who has lived his life in the service of the downtrodden. He continues his crusade against casteism even today.

The hon. Member belonging to Lok Dal has brought this Bill. He wants a review of Hindu scriptures and other religious literature. For that purpose he wants a Commission to be constituted by the Government. I support this Bill wholeheartedly, If the Government wants to implement the principles embedded in the Constitution, then this Bill should be permitted to become the law. The Minister should not restrict herself to political party considerations in accepting this Bill, which seeks to establish a casteless sociery in the country. The establishment of secular society will be expedited by a Bill of this nature. She should come forward and accept this Bill.

I extend my full support to this Bill and before I resume my seat I would only say that the symbol of my Party Dravida Munnetra Kazhagam is Rising Sun and I want that rising sun should glow over a casteless and secular society in India. With these words I conclude by saying that the cherished goal of D.M.K. has been reflected in this Bill.

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय सभापति जी, हमारे साथी माननीय सोनकर जी ने जो विधेयक पेश किया है, उसमें उनकी भावनाओं की मैं पूरी तरह कद्र करता हूं। हकीकत यह है कि धर्म के नाम पर हमारे देश में एक अरसे से मानव जाति के ऊपर विभिन्न प्रकार के जुल्म और अत्याचार ढाए जा रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि उन जुल्म और अत्याचारों में आज भी कोई कमी नहीं है। मैं धर्म का न तो पण्डित हूं और न ही मुझे इस बारे में जानकारी है। मैं एक छोटी सी बुद्धि का आदमी हूं। इतना अवश्य जानता हूं कि धर्म, इन्सान-इन्सान में भाईचारा, प्यार मौहब्बत और आपस में मिल-जुलकर रहना सिखाते हैं। जिस धर्म में इन्सान-इन्सान के प्रति नफरत, ऊंच-नीच का भेदभाव और अमानुषिक अत्याचार हो तो इस बात को मैं धर्म के खिलाफ समझता हूं। ऐसा मानकर चलता हूं कि यह कोई धर्म ही नहीं है। जो धर्म, छुआछूत को बढ़ावा दे और इन्सान-इन्सान में फर्क करें, वह किस बात का धर्म है? हिन्दू धर्म की कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो इन्सान के बीच में नफरत की दीवार खड़ी करती है और इस बात का प्रचार करती हैं कि कर्म से इन्सान बड़ा है। जो आदमी जैसा काम करता है, उसकी जाति उसी प्रकार से बनाई गई थी। ऐसी व्यवस्था मनु जी ने की थी। पठन-पाठन करने वाला ब्राह्मण, लड़ाई में जाने वाला क्षत्रिय, व्यापार करने वाला वैश्य और जो सेवा करता था उसको शूद्र श्रेणी में रखा गया। लेकिन इसको तो हजारों साल हो गए। जब यह व्यवस्था बनी थी वही चली आ रही है। कितना भी कोई बुद्धिहीन या बदसूरत आदमी अगर उच्च जाति में वह जन्म लेता है तो पूज्य है। अगर जो शूद्र के घर में पैदा हो वह कितना ही विद्वान हो और उसको उचित स्थान और आदर न दिया जाय, यह कहां का न्याय है। आज शूद्रों को फौज में भर्ती नहीं किया जा रहा है, पी० ए० सी० से निकाला जा रहा है यह कह कर कि तुम मार्शल ऐस के नहीं हो। तो मतलब यह हुआ कि जो संघर्ष करे वही बहादुर होगा

आज पैसे से भी आदमी के स्टेटस को आंका जाता है। लेकिन यह भी ठीक नही है। आज शूद्रों में भी बहुत लोग पैसे वाले हैं, इसके बाद भी उनको शूद्र ही समझा जाता है और समाज में उन्हें विशेष स्थान नहीं है। संविधान के अनुसार लिंग, जाति, या धर्म के नाम पर छुआछुत मना है। इसलिए जिन पुस्तकों में आदमी को छोटा समझा जाता है, जैसे अनटचेबिलिटी को ओफेंस माना गया है, उसी तरह से जो पुस्तकें हैं और छुआछूत को बढ़ा रही हैं उनको बैन करना चाहिए। ऐसा करना सर्वथा संविधान के अनुसार होगा। इसमें राजनीति का सवाल नहीं है क्योंकि गम्भीर मामला है।

हम देखते हैं कि सामूहिक रूप से दलितों आदिवासियों की महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्यायें की जाती हैं। उसकी जड़ में यही सारी बातें हैं जिसकी वजह से हमारे देश में जुल्म होता है। कुछ लोगों का रवैया बन गया है धर्म की आड़ में लोगों पर अत्याचार करते हैं। इसलिए हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए, और इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए। किसी नेता को बुरा भला कहना अच्छी बात नहीं है। हम देखते हैं कि लोग प्रेरणा लेते हैं। मैं समझता हूं कि जितने भी हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं, कुछ फैनेटिक्स को छोड़कर, सभी भाई चारे को मानते हैं। आज शिक्षा के प्रसार से समानता और भाई चारे का प्रचार किया जा रहा है जिससे लोगों की आंखें खुली हैं ऐसी हालत में आदमी आदमी के बीच भेदभाव करना या डिस्क्रिमिनेशन करना, या किसी को नीच समझना सर्वथा अनुचित और ग़लत है। इस बात को हिन्दू धर्म को मानने वाले मानते हैं, कुछ फैनेटिक्स को छोड़कर। कोई आदमी अगर किसी छोटी कौम में पैदा हो जाता है, इस लिए उसे छोटा नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद इस बात के लिए वह तैयार न हों। बहुत सी बातें बहुत से धर्मों में गलत लिखी हैं, उनको निकाला जाय तो मेरे ख्याल से किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

विद्वानों और धार्मिक पंडितों का कहना है कि दुनिया भर के लोग हमारे हिन्दू धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आते हैं। आज हिन्दू धर्म का प्रचार 7 समुद्र पार विलायतों में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, पश्चिम के बहुत से देशों, तथा पूर्व के जापान, थाइलैंड, सिंगापुर में भी धर्म का प्रचार हो रहा है, जगह-जगह आर्य समाज के मन्दिर बने हुए हैं लेकिन आज भी जांत-पांत, ऊंच-नीच की जो बातें कही गई हैं अगर वह नहीं होती तो मैं समझता हूं कि और अधिक प्रचार हो सकता था।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सभापति महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। इतना महत्वपूर्ण विषय यहां चल रहा है और माननीय गृह-मन्त्री कक्ष के बाहर चली गई हैं और यहां हाउस में कोरम भी नहीं है। सत्ता पक्ष के लोगों की स्थिति देखिये।

सभापति महोदय : दूसरे मिनिस्टर बैठे हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : श्री पुजारी और श्री मल्लिकार्जुन बैठे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन कोरम नहीं है। हम कोरम का प्रश्न उठाते हैं।

सभापति महोदय : कोरम बैल बजाई जायें।

अब कोरम हो गया है।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर हमारे देश में जातिवाद, ऊंच-नीच, छुआछूत न होती तो मुझे विश्वास है कि हमारा देश जिन्दगी में कभी गुलाम नहीं हो सकता था। हम करीब 700,800 साल गुलाम रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जातिवाद और ऊंच-नीच है। अगर हिन्दू धर्म-ग्रन्थों में यह जातिवाद, ऊंच-नीच, इन्सान-इन्सान के बीच में फर्क नहीं होता तो बहुत से धर्मों का जन्म ही नहीं होता। बौद्ध जैन, और सिख धर्म इसलिए इस मुल्क में बने कि इन्सान के साथ इन्सानियत का बर्ताव नहीं किया गया।

आज भी ऐसी पुस्तकें हैं जहां इन्सान से बेहतर कुत्ते-बिल्ली को माना गया है। एक चौके में कुत्ता, बिल्ली जा सकता है लेकिन इन्सान का बच्चा नहीं जा सकता, यह क्या धर्म है ?

आप पूरे हिन्दुस्तान में देखिये किसी भी प्रदेश में, शहर में, गांव में, एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ छूतछात की बीमारी न हो।

17.00 hrs.

यह कहा जाता है कि ये छोटे लोगों की बिरादरी के लोग हैं, ये नीची जाति या निम्न वर्ग के लोग हैं और इस आधार पर कहीं उन्हें कुंए से पानी नहीं भरने दिया जाता, कहीं चारपाई पर नहीं बैठने दिया जाता, कहीं शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग बरात नहीं निकाल सकते, दूल्हे को घोड़े या रथ पर नहीं बैठने दिया जाता, उनकी स्त्रियां जेवर नहीं पहन सकतीं।

यह भावना कैसे पैदा हुई ? इसकी प्रेरणा धर्म-ग्रन्थों से मिली है, जिसकी वजह से इंसान इंसान के बीच फर्क किया जाता है।

भारतीय संविधान कहता है कि धर्म, जाति और सैक्स के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ डिसक्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने अनटचेबिलिटी ऑफेंसिज के बारे में एक कानून बनाया हुआ है, जिसके अनुसार मुंह से या प्रैक्टिस में छुआछूत बरतने वालों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद बहुत से लोग धर्म को कानून से ऊपर मानते हैं और कहते हैं कि ये तो सरकार के बनाए हुए कानून हैं, भगवान और धर्म की पुस्तकों में ये बातें लिखी हुई हैं। वे सरकार के बनाए हुए कानूनों को नम्बर दो का समझते हैं और उन्हें कोई अहमियत नहीं देते हैं।

मुझे अफसोस है कि बाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामायण में बहुत फर्क है, उनकी हिस्ट्री में फर्क है और दोनों में भिन्न बातें कही गई हैं, फिर भी लोग तुलसीदास की रामायण के अनुयायी हैं। उसमें लिखा है : "ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी"। इसमें ढोल और अशिक्षित लोगों के साथ शूद्रों, जिन्हें शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज और बैकवर्ड क्लासिज के लोग कहा जाता है, और स्त्री जाति को भी अपमानित किया गया है, जबकि हमारा संविधान कहता है कि नारी और पुरुष में कोई भेद नहीं करना चाहिए और अगर कोई करेगा, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायगी। ये दोनों बातें साथ-साथ नहीं चल सकतीं।

एक तरफ भारत का संविधान कहता है कि इन्सान-इन्सान के बीच कोई फर्क नहीं किया जाएगा, हमने धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया है, हमारे देश में धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति के साथ डिसक्रिमिनेशन नहीं किया

जाएगा। दूसरी तरफ हिन्दू धर्म की पुस्तकें खुल्लम-खुल्ला कहती हैं कि शूद्र अपवित्र हैं। अगर भारत आजाद न हुआ होता, अगर यहां गांधी और नेहरू जैसी महान् हस्तियां न हुई होतीं, अगर यहां पर परम पूज्य बाबा साहब डा० अम्बेडकर जैसी महान हस्ती न होती, जिन्होंने जीवन भर छुआछूत के खिलाफ संघर्ष किया, तो शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की हालत इससे भी बदतर होती।

यह ठीक है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा काफी सुविधाएं दी गई हैं। सरकार ने उनके लिए एक दर्जे से लेकर एम.ए. तक फीस माफ की है और उन्हें वजीफा देने की व्यवस्था की है। मै समझता हूं कि सरकार उनकी स्थिति को सुधारने के लिए जो सुविधाएं दे रही है, वे कम नहीं हैं, बशर्ते कि उनका सदुपयोग किया जाए। उनकी आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति सुधर भी रही है।

छुआछूत वाली बात केवल गांवों के लोग या अनपढ़ लोग ही नहीं मानते, दफतरों के बहुत से लोग हमारे पास शिकायतें लेकर आते हैं-हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं-और कहते हैं कि दफतरों में छुआछूत बरती जाती है, सवर्ण लोगों के लिए अलग ग्लास हैं और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए अलग ग्लास होता है।

कहीं पर तो पानी भी नहीं पीने दिया जाता और जो शिक्षा के मन्दिर हैं जहां पर शिक्षा दी जाती है, जहाँ शिक्षा पाकर आदमी आदती बनता है वहां पर भी एक जमाना था कि जो शेड्यूल्ड कास्ट का बच्चा पढ़ने जाता था तो उस को पानी नहीं पीने दिया जाता था। इस प्रकार की प्रैक्टिस कहीं-कहीं आज भी है। साउथ में मनु जी के विधान के अनुसार क्या था कि अगर शूद्र चल रहा हो तो उसके पीछे झाड़ू बांध दो ताकि उस पर किसी ऊंची जाति के चलने वाले का पैर न पड़ने पाए। अगर वेद या किसी चीज को शूद्र सुने तो उस के कान में सीसा पिघलाकर या तेल डाल दिया जाय। शूद्र अगर किसी भगवान को स्पर्श कर ले तो तेल गरम करके उस का हाथ जला दिया जाय। इस प्रकार की व्यवस्था कई ग्रन्थों में है। तो मैं नहीं समझता कि यह किस तरह का धर्म रह गया ?

मैंने अपनी बात को जहाँ से प्रारम्भ किया था, वही कहता हूं, मेरी जैसी छोटी बुद्धि का आदमी धर्म का मतलब जो समझता है वह यही समझता है कि धर्म इन्सान-इन्सान के बीच प्यार, मौहब्बत जगाने के लिए, एक दूसरे के नजदीक आने के लिए, करूंगा और मैत्री की भावना पैदा करने के लिए बनाए गए हैं न कि इन्सान-इन्सान के बीच नफरत और ऊंच-नीच की भावना पैदा करने के लिए। शास्त्री जी ने जो विधेयक पेश किया है मुझे अफसोस इस बात का है कि यह पास तो नहीं हो पाएगा क्योंकि सन् 71 से जब से मैं इस लोक सभा में आया हूं तब से देख रहा हूं प्राइवेट मेम्बर्स के रेजोल्यूशन विदड्रा ही हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे जो भावना छिपी है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और इस बात को मानकर चलता हूं कि अगर इस तरह की व्यवस्था कर दी जाय तो देश में जाति और धर्म के नाम पर जो इन्सान का शोषण होता है, उनको जलाया जाता है, उन का कत्ले आम होता है, उनकी फसलों को लूटा जाता है, उनकी सम्पत्ति को उजाड़ा जाता है, शायद इस तरह की घटनाएं न हों। और हमारे देश में समानता, एकता और अखण्डता की भावना पैदा हो जिस में एक-दूसरे को

भाई-भाई और एक देशवासी समझें और उनके साथ प्यार और मौहब्बत का व्यवहार करें । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आप का आभार प्रकट करता हूं ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : सभापति महोदय, अभी हमारे साथी श्री राम प्यारे पणिका जी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसी बहस के दौरान यह बात कही कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्यों कि संविधान में सब कुछ दिया हुआ है जो इस बिल के द्वारा अभिप्रेत है । उनका मतलब है कि अस्पृश्यता समाप्त की जाएगी, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जन्म, लिंग अथवा धर्म के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब को समान माना जायगा और यही नहीं, बल्कि जो पिछड़े लोग हैं या हरिजन हैं उनको कुछ अधिक सुविधाएं भी दी जाएंगी, उनके स्तर को ऊंचा किया जायगा, यह संविधान में दिया हुआ है और वही चूंकि अब नयी मनु-स्मृति हो गया है इसलिए अब इस प्रकार के विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है । मैं इस बात को नहीं मानता । मैं समझता हूं कि उनके समझने में थोड़ी भूल हुई है । मैं राजनाथ सोनकर शास्त्री जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने यह विधेयक लाकर कुछ बातों की ओर इस सदन का और पूरे देश का ध्यान आकृष्ट किया है । आप देखें कि वह क्या कहते हैं ? मेरा विचार है कि कुछ सज्जन जो इस पर बोले हैं उन्होंने इसको ठीक तरीके से शायद पढ़ा नहीं । अगर वह पढ़ते तो यह बात कभी नहीं कहते कि संविधान में ये सब बातें दी हुई हैं । शास्त्री जी ने क्या कहा है ? संविधान में जो कुछ लिखा है उसके विपरीत जहां जो कुछ लिखा है उसको हटाने की बात उन्होंने कहीं है । उन्होंने कहा है-"हिन्दू धर्मग्रन्थों तथा अन्य धार्मिक साहित्य से ऐसे शब्दों, वाक्यों, कंडिकाओं पद्य खण्डों, अध्यायों आदि का, जिनसे भारत के संविधान में अन्तर्विष्ट सिद्धांतों और संविधान की प्रस्तावना में अन्तर्विष्ट भारत की जनता के पुनीत संकल्प के विपरीत, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, व्यवसाय या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति घृणा; ने भेद-भाव, असमानता या अस्पृश्यता को प्रोत्साहस मिलता है या प्रचार होता है, पता लगाने और उनका लोप करने या उनमें संशोधन करने की दृष्टि से, हिन्दू धर्मग्रन्थों तथा अन्य धार्मिक साहित्य का पुनरीक्षण करने और इस प्रयोजन के लिए एक आयोग की स्थापना करने तथा इससे संबन्धित बातों का उपबन्ध करने हेतु यह विधेयक यहाँ पर लाया गया है ।"

इसमें पूरी बात आ गई है । अब किसी को भी कोई शंका हो तो वह दूर करले, वह इसको दोबारा पढ़ ले । इस विधेयक में उन्होंने कोई पहाड़ नहीं तोड़ दिया है बल्कि काफी सोच समझकर उन्होंने इसकी धारायें बनाई हैं । उन्होंने इसमें कहा है कि इस आयोग की स्थापना की जाए जिसका यह कर्तव्य होगा कि इन सारी चीजों को देखे और पता लगाए । उन्होंने इस विधेयक की धारा (8) और (9) में यह भी कहा है कि आयोग उन धर्म-ग्रन्थों तथा धार्मिक पाठों/पुस्तकों के बारे में जिनमें उसने यह संशोधन किया है, आम लोगों को उस रीति से, जिसे वह उपयुक्त समझे, जानकारी देगा । आयोग उन धर्मग्रन्थों तथा अन्य धार्मिक पाठों / पुस्तकों की जिनका उसने पुनरीक्षण कर लिया है, अद्यतन सूची समय-समय पर प्रकाशित करेगा । मैं समझता हूं संविधान की भावना के यह बिल्कुल अनुकूल है और यह करना चाहिए ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अब ऐसा नहीं हो रहा है और धर्मग्रन्थों से इसको लोप करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन उनकी बात मैं अपने को समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे मन में यह बात जम नहीं रही है। आजकल तो विचारों के मामले में प्रचार और प्रसार का विशेष महत्व है । जो चीजें, जो पैराग्राफ, जो लेख, जो श्लोक जनता में भेद-भाव पैदा करें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की भावना को बहुत आगे बढ़ावें उन चीजों का प्रचार-प्रसार यदि जारी रहेगा तो संविधान के अन्तर्गत जिन बातों को हम चाहते हैं वह पूरी नहीं हो सकेंगी। मैं इस बात को तो मानता हूं कि शहरों में यह भावना कुछ कम हुई है. पहले के मुकाबले ज्यादा लोग पढ़ने भी लगे हैं, लेकिन देश का जो 85 प्रतिशत भाग देहात हैं वहां पर इस भावना में मुश्किल से 5 प्रतिशत की कमी आई है। इसका कारण यह है कि वहां के लोग आज भी ब्राह्मण और पुजारी के वश में हैं। अगर बच्चा पैदा होगा तो पंडितजी आयेंगे और जैसा वे बतायेंगे वैसा नाम रखा जायेगा । उसके विवाह के समय और मृत्यु के बाद भी श्राद्ध में जैसा कि पंडित जी बताते हैं वैसा ही उनको करना पड़ता है। जब तक ग्रन्थों में इस प्रकार की बातें रहेंगी तब तक तथा कथित ब्राह्मण और पुजारी उसका सहारा लेकर मन्त्रोच्चारण कर के यह सारे कर्मकाण्ड करायेंगे । इस तरीके से सारे देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य की भावना समाप्त होनी चाहिए । मनुष्य को उसके कर्मों से श्रेष्ठ माना जाना चाहिए । नीच कर्म करे तो नीच माना जाना चाहिए, चाहे वह ब्राह्मण के घर का हो, चाहे क्षत्रिय घर में जन्म लिया हो और चाहे वैश्य के घर में जन्म लिया हो। लेकिन इसके बजाय ब्राह्मण अभी भी श्रेष्ठ माना जाता है। क्षत्रिय को दूसरे नम्बर पर माना जाता है और वैश्य को तीसरे नम्बर पर माना जाता है और शूद्र को आज भी सबसे नीचे माना जाता है। आज भी यदि आप श्रीमन् गावों में जायेंगे तो आप पायेंगे कि शूद्र बेचारा खाट पर नहीं बैठ सकता है। जब दूसरे लोग बैठे हों तो वह खाट पर नही बैठता है । जमीन पर बैठना है । शूद्र यदि कोई पढ़ा-लिखा निकल जाए, तो उसी को दूसरों को पहले नमस्ते करनी पड़ती है, पहले उसको कोई नमस्ते नहीं करता है। श्रीमन्, गांवों में तो यही हालत है।

इसीलिए जब हम यहां पर यह बात कहते हैं कि हरिजन और बैकवर्ड क्लास के लिए आप स्थान सुरक्षित कीजिए। आप जो नाप तोल लेकर बैठते हैं कि अगर कोई आर्थिक रूप से सम्पन्न है तो उसे नहीं दिया जाना चाहिए, इस स्थान पर मेरा आप से निवेदन है कि आर्थिक रूप से सम्पन्न व्यक्ति भी अभी समाज में उतना आदर का पात्र नहीं हो पाया है । इसलिए जाति के आधार पर संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पुरानी किताब है, वह किसी पम्फलैट और पोस्टर की तरह से है। जैसे किसी चीज का प्रचार करना हो, पम्फलैट या पोस्टर जैसे छापते हैं, उसी तरह से हमारे धर्मग्रन्थ हैं जिनके अन्दर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—चार टुकड़े किए हुए हैं। आज भी वे लुप्त नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा यह कर्मकाँड कराया जा रहा है। असल में हमारी सारी की सारी वर्ण व्यवस्था ही इसी प्रकार की है। यदि यह वर्ण व्यवस्था समाप्त हो तो सारी चीजें अपने आप समाप्त हो जायें और इस विधेयक को यहां लाने की आवश्यकता न पड़े।

मैं आपको "मनुस्मृति" में से ब्राह्मण के कर्मों को बतलाना चाहता हूं :

अध्यापनमययनं भजनं भाजनं नया
दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणपानामकल्यत्

पढ़ाना, पढ़ना, यज्ञ कराना, करना, दान देना और लेना इन कर्मों को ब्राह्मण के लिए बनाया गया है।

एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु: कर्म समादिशत्
एतेषागेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया

ब्राह्मण ने ब्राह्मण आदि तीन वर्गों की अनिन्दक रहते हुए सेवा करना शूद्र के लिए प्रधान कर्म बनाया। तीनों वर्ग की जीवन भर सेवा करते रहना, यही अच्छा कर्म है।

श्रीमन्, शूद्र दो प्रकार के होते हैं। आम आदमी तो यही समझते हैं कि शूद्र एक ही प्रकार का होता है लेकिन बरेली में एक पंडित जी थे, जो पाछाजी कहलाते थे। मैंने उनसे कहा कि मैं बैकवर्ड क्लास का हूं, लेकिन आप मुझे खाट पर बैठाते हैं तो मैं क्या हूं ? उन्होंने बतलाया कि शूद्र दो प्रकार के होते हैं- एक स्पर्श्य और दूसरे अस्पर्श्य। एक को छू सकते हैं और दूसरे को छू नहीं सकते। मैंने पूछा—मैं किस में आता हूं ? उन्होंने कहा कि तुम स्पर्श्य हो, तुम्हें छू सकते हैं। आप मुझे बतलाइये क्या इस तरह की संकुचित विचार-धारा देश को आगे ले जा सकती है ?

मैं आप को आगे बतलाता हूं—इस में लिखा है—

उत्तपांगोभदवाज्यैष्ठ ब्रह्मणश्चैव धारणात्
सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्नतो ब्राह्मण: प्रभु:

ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने से ज्येष्ठ होने से और वेद के धारण करने से धर्मानुसार ब्राह्मण ही सम्पूर्ण सृष्टि का स्वामी होता है। ब्राह्मण के मुख से देवता लोग हव्य को तथा पितर लोग कव्य को खाते हैं, अत: ब्राह्मण से अधिक श्रेष्ठ कौन प्राणी होगा।

भूतानां प्राणिन: श्रेष्ठा प्राणिनां बुद्धिजीवनि:
बुद्धिमत्सु नरा: श्रेष्ठा नरेषु ब्रह्मणा: स्मृता:

भूतों में प्राणधारी जीव श्रेष्ठ है, प्राणियों में बुद्धिजीवि श्रेष्ट है, बुद्धिजीवियों में मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है।

MR. CHAIRMAN : The extended time for this Bill is over. There are so many names in my list of Members, who want to speak on this Bill. So, is it the pleasure of the House that the time for this Bill should be extended by one hour ?

SOME HON. MEMBERS : Yes.

MR. CHAIRMAN : All right, as desired by the House, the time for this Bill is extended by one hour.

श्री हरीश कुमार गंगवार : सभापति महोदय यह बड़ा गम्भीर और महत्वपूर्ण बिल है। बार-बार ऐसे बिल नहीं आते हैं—मैं जो कुछ कह रहा हूं इसी के बारे में कह रहा हूं, कोई पोलीटिकल बात नहीं कह रहा हूं।

सभापति महोदय : आप के लिए ही मैंने टाइम एक्सटेण्ड कराया है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैं आप को आगे बतलाता हूं—

सर्वं स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किंचितजगतीगतम्
श्रेष्ठ्येनाभिजनेनेदं सर्वं वै ब्राह्मणोऽर्हति।

पृथ्वी पर जो कुछ है वह सब ब्राह्मण का है अर्थात ब्राह्मण उसे अपने धन के समान मानता है। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न तथा कुलीन होने से यह सब धन ग्रहण करने का अधिकारी होता है।

स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च
आनृशंस्याद् ब्राह्मणस्य भुंजते हीतरे जनाः

ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है, अपना ही दान करता है तथा दूसरे व्यक्ति ब्राह्मण की दया से सब का भोग करते हैं। इस में यह भी लिखा है कि जो तीन वर्ण हैं वे दान देने के लिए बने हैं, ब्राह्मण दान देने और लेने दोनों के लिये बना है। मुझे तो पूरे हिन्दुस्तान में ऐसा ब्राह्मण दिखाई नहीं देता है जो दान देता हो। सब लेने वाले हैं।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : आप शादी-ब्याह में उसे बुलाते हैं तो क्या उसे दीजियेगा नहीं, ऐसे ही ब्याह करा लीजियेगा ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : नाम रखने के मामले में सब चौपट कर दिया है। ये कहते हैं कि शूद्र के नाम के साथ दारा लगना चाहिए।

इस के बारे में भी यह कहा गया है:

"शर्मवद्ब्राह्मस्य स्याद्राज्ञो रक्षासिमन्वितम्।
वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्यसंयुतम्।।

ब्राह्मण का 'शर्मा' शब्द से युक्त क्षत्रिय का रक्षा-शब्द से युक्त, वैश्य का पुष्टि शब्द से युक्त और शूद्र का दास शब्द से युक्त उपनाम करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इनका नाम रवि दास, मलूका दास रखना चाहिए और अन्त में 'दास' शब्द लगाना चाहिए।

यही नहीं शूद्र जब मर जाता है, तो उसको किधर से निकाला जाए, इसके बारे में भी मनुस्मृति में दिया हुआ है। नगर के दक्षिण द्वार से उसे निकाला जाए। इसके बारे में भी एक श्लोक इस में दिया हुआ है, जिसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं:

दक्षिणेन मृतं शूद्रं पुरद्वारेण निर्हरेत्।
पश्चिमोत्तरपूर्वैस्तु याथायोगं द्विजन्मनः।।

मरे हुए शूद्र को नगर के दक्षिण द्वार से बाहर निकालें और अन्य द्विजों (वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण) के शव को क्रमशः नगर के पश्चिम, उत्तर तथा पूर्व के द्वार से बाहर निकालें। यहां तक इसमें विधान है कि उस के मरने के बाद दक्षिण की ओर से उसे निकालना चाहिए।

शुद्धि करने के लिए शूद्र को क्या करना चाहिए. इसके बारे में भी इसमें दिया हुआ है:

शूद्रणां मासिकं कार्यं वचनं न्यायवर्तिनाम्।
वैश्यवच्छौचकल्पश्च द्विजोच्छिष्टं च भोजनम्।।

यदि उसकी शुद्धि करनी है, तो कैसे उसे शुद्ध किया जाए। यथाशास्त्र आचरण (द्विज-सेवा) करने वाले शूद्रों को मास पर मुण्डन कराना चाहिए, वैश्य के समान शुद्धि विधान करना चाहिए और ब्राह्मण के उच्छिष्टका भोजन करना चाहिए। उच्छिष्ट भोजन का मतलब है मुंह से निकला झूटा भोजन कराना चाहिए और हर महीने मुण्डन कराना चाहिए। उसके बाद जब वह ब्राह्मण के मुंह से निकला हुआ भोजन करेगा, तभी वह पवित्र होगा और तभी उसकी शुद्धि होगी।

इसके बारे में और भी श्लोक दिये हुये हैं लेकिन मैं उनको न पढ़कर केवल उनका अर्थ ही पढ़ देना चाहता हूं। इसमें लिखा है:

मुख से निकलकर शरीर पर पड़ने वाली छोटी बूंदें, मुख में पड़ते हुए मूंछ के बाल और दांतों के बीच में अटका हुआ अन्नादि मनुष्य को जूठा नहीं कहते हैं।

बकरी, और घोड़ा मुख से, गौ पीछे से, ब्राह्मण चरणों से स्त्रियां सर्वांग से पवित्र होती

हैं अर्थात बकरी आदि के उक्त अंग पवित्र होते हैं।

आगे एक और श्लोक में यह लिखा है:

"(दूसरे को) कुल्ला कराते या पानी पिलाते हुए व्यक्ति के पैरों पर पड़ने वाली बुंदों को भूमि पर पड़े हुए जल के समान मानना चाहिये, उनसे (वह व्यक्ति अशुद्ध होकर) आचपन करने योंज्य नहीं होता अर्थात वह शुद्ध ही रहता है।

अब यहां पर हमारी बहन जी बैठी हुई हैं। स्त्रियों के बारे में भी इसमें बहुत कुछ लिखा है। उनके बारे में भी मैं कुछ बताना चाहता हूं।

सभापति महोदय : सारी मनुस्मृति देने से क्या लाभ है, मिसाल के तौर पर दो-चार श्लोक दे दीजिए।

श्री हरीश कुमार गंगवार : वही दे रहा हू। इसमें लिखा है—

बालया वा युवत्या वा वृद्धया वा पि योषिता।
न स्वातन्त्रेयेण कर्तव्यं किंचित्कार्यं गृहेष्वपि।

बचपन में जवानी और बुढ़ापे में स्त्री को अपने घरों में भी अपनी इच्छा से (क्रमशः पिता, पति और पुत्र आदि अभिभावक की सम्मति के बिना मनमाना) कोई भी काम नहीं करना चाहिए।

स्त्री बचपन में पिता के, जवानी में पति के और पति के मर जाने पर बुढ़ापे में पुत्र के वश में रहे उनको आज्ञा तथा सम्मति के अनुसार कार्य करे; स्वतन्त्र कभी न रहे।

समय की कमी की वजह से मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूं।

पुरुष तो दूसरी शादी कर सकता है, अगर स्त्री दूसरी शादी कर ले तो औरत नर्क का पात्र होती है।

श्री बनवारी लाल बेरवा (टोंक) : सभापति महोदय, मेरा प्वाएंट आफ आर्डर है।

आज इस देश के अन्दर जो व्यवस्था चल रही है वह हमारे संविधान से संचालित है। संविधान ने ऐसी सारी बातों को समाप्त कर दिया है। आज के बच्चे जो कि कल युवा होने वाले हैं, इन बातों को नहीं जानते हैं। पुराने जमाने में किसी ने अगर ऐसी बातें लिख दी हो तो आज उनका क्या महत्व है।

सभापति महोदय : यह कोई प्वाएंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : श्रीमन् देखिये स्त्रियों के बारे में इसमें आगे क्या लिखा है

मदाचार से हीन, परस्त्री में अनुरक्त और विद्या आदि गुणों से हीन भी पति पतिव्रता स्त्रियों को देवता के समान होता है। वह पूज्य होता है। वह चाहे जो कुछ कर ले लेकिन स्त्री कुछ न करे।

जो स्त्री वाग्दान से लेकर जीवन पर्यन्त पतिव्रता होती है, वह पति लोक का त्याग नहीं करती है, अर्थात सर्वदा पतिलोक में निवास करती है, जैसी अरुन्धती है, वैसी ही वह पतिव्रता स्त्री है।

स्त्रियों के लिए पृथक् (पति के बिना) यत्र नहीं है और पति की आज्ञा के बिना व्रत तथा उपवास नहीं है, पति की सेवा से ही स्त्री स्वर्ग लोक में पूजित होती है।

श्रीमन् यह भी लिखा है कि—

पति के मर जाने पर स्त्री पवित्र, पुष्प कन्द और फल से शरीर को क्षीण करे

व्यभिचार की भावना से दूसरे पुरुष का नाम भी न ले। बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य पालने वाले अनेकों सहस्र ब्राह्मण वंशवृद्धि के लिए सन्तानोत्पत्ति को बिना किये ही स्वर्ग गये हैं।

पति के मरने पर ब्रह्मचारिणी रहती हुई पतिव्रता स्त्री पुत्र को बिना पैदा किए ही उन सनकादि ब्रह्मचारियों के समान स्वर्ग को जाती है।

सभापति महोदय : गंगवार साहब मनुस्मृति में यह भी लिखा है कि :

न स्त्री स्वातंत्रये मरहति।

श्री हरीश कुमार गंगवार : श्रीमन् अब मैं फिर शूद्रों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। इसमें यह लिखा है कि जिस राज्य के लिए विचार शूद्र करता है वह राज्य देखते-देखते कीचड़ में धंस जाता है।

जो राज्य बहुत से शूद्रों और नास्तिकों से व्याप्त हो, ब्राह्मणों से रहित हो, दुर्भिक्ष तथा व्याधियों से पूर्ण हो, वह सम्पूर्ण राज्य भी नष्ट हो जाता है।

और सभापति महोदय इसमें यह भी लिखा हुआ है कि ब्राह्मण से "तुम चोर हो" कहने पर शूद्र को मारा पीटा जाएगा। ब्राह्मण और क्षत्रिय को कटु वचन करने वाले शूद्र की जीभ काट कर दंडित करना चाहिए। क्योंकि वह नीच से उत्पन्न है। इन जातियों का नाम लेकर कटु वचन कहने वाले शूद्र के 10 उंगली लम्बी लोहे की कील मुंह में डालनी चाहिए। ब्राह्मण देवता के समान है चाहे वह मूर्ख ही क्यों न हो। मूर्ख और देवता दोनों ही, ाह्मण श्रेष्ठ हैं। मूर्ख ब्राह्मण का भी निरा- नहीं करना चाहिए। चाहे ब्राह्मण निंदित र्गों में प्रवृत्त होता हो, सब प्रकार से ब्राह्मण पूज्य हैं और उत्तम हैं। क्षत्रिय आदि ब्राह्मण को पीड़ित करे तो उसका न्याय करने वाला ब्राह्मण होगा। ब्राह्मणों की सेवा करना शूद्रों का मुख्य धर्म कहा गया है इसके अतिरिक्त शूद्र द्वारा किया गया कार्य निष्फल है। (व्यवधान)

मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इस प्रकार के धर्मग्रन्थों में यह सब बात लिखी रहेगी तो यह संविधान की अवहेलना तो है ही बल्कि इसका सहारा लेकर पंडित और पुरोहित लोग लोगों को गुमराह करेंगे। देहातों में जो सीधे-साधे लोग हैं, 64 प्रतिशत देश के जो अनपढ़ लोग हैं उन सब को मूर्ख बनाने के लिए ये ग्रन्थ काफी हैं। इसलिए इनका प्रचार-प्रसार नहीं होना चाहिए। जहां कहीं भी ऐसी बातें हों उनको डिलीट किया जाना चाहिए। आप देखते हैं कि हमारे यहां जो भी पुराने एक्ट हैं उनको डिलीट करते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं तो इसमें कौन सी ऐसी बात है कि इनको धर्मग्रन्थों में से निकाला नहीं जा सकता। अगर ये रहेंगे तो कुछ चतुर लोग जनता को गुमराह करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। (इति)

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, सोनकर जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उनकी भावना की मैं कद्र करता हूं। मैं समझता हूं कि अगर हम अपने पिछले इतिहास को देखें तो पता चलता है कि आजादी से पहले मनुस्मृति के माफिक हरिजनों के साथ व्यवहार होता था लेकिन आजादी के बाद जब यहां सरकार बनी तो इस सरकार में जो नेता चुनकर आते हैं वे हरिजनों के मध्य से, मुसलमानों के मध्य से, ईसाइयों के मध्य से, सभी का समर्थन लेकर यहां आते हैं।

मुझे जहां तक जानकारी है, वह ग्रन्थ खराब है जिसमें हिन्दू समाज और हमारे समाज को बांट दिया गया है। लेकिन संविधान बनने के बाद सब चीजें साफ हो गई हैं। गांव के लोगों में अभी भी वही पुरानी भावना चली आ रही है। मैंने कई जगह देखा है कि हरिजनों को मन्दिरों में जाने नहीं देते। बीस सूत्री कार्यक्रम के द्वारा भी जो मदद देना चाहते हैं वह नहीं पहुंच पाती है। पिछड़े हुए लोगों को फायदा तभी पहुंच सकता है जब हम गरीबी को मिटाने के लिए काम करें। मैं आप को एक उदाहरण देना चाहता हूं। पुराने जमाने में शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिए अलग नाई होता था, जो कभी-कभी उन्हें चोट भी पहुंचा देता था और दूसरे लोगों के लिए अलग नाई होता था। धीरे-धीरे ये सब बातें खत्म हो गई। इस प्रकार की बातें हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में होती थी। हमारी सरकार यह चाहती है कि जितने भी गरीब हरिजन-आदिवासी हैं, वे सब तरक्की करें। हम उनके जज्बात को भड़काना नहीं चाहते। हमारी सरकार चाहती है कि हर कौम इस मुल्क में तरक्की करे और आगे बढ़े। गंगवार जी ने मनगढ़न्त बातों का उल्लेख किया है। उन्होंने लम्बी-लम्बी मूछों और लम्बी-लम्बी भुजाओं वाले आदमी का वर्णन किया है। इसका मतलब है, वह आदमी भी बहुत बड़ा होगा। अब यह बातें खत्म हो गई हैं। सरकार की ओर से गरीबों को जो फायदा दिया जाता है, क्या वास्तव में वह पहुंच पाता है? इस देश में चाहे राजपूत, ब्राह्मण, मुसलमान, हरिजन हो, सब एक ही तरह से पैदा होते हैं। वे जब समाज में आते हैं तो जात-बिरादरी बन जाती है। इसलिए हमारे देश में जो फिरकापरस्ती की बातें पैदा हो रही हैं, उनको मिटाने के लिए हम सबको सोचना चाहिए।

हम सब हिन्दुस्तानी हैं, भारत वासी हैं, हमारी एक ही कौम है, हम में कोई ऊंच-नीच नहीं है, कोई फर्क नहीं है, यह हमको सोचना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन, नेता और माननीय सदस्य इस तरह सोचें और काम करें तो देश आगे बढ़ सकता है। राज्य भी तब बढ़ सकते हैं, फलफूल सकते हैं।

मद्रास की बात मैं करता हूं। वहां हरिजन मुसलमान बनाए गए हैं इसाई भी वे बने। जब वहां चले गए तो पवित्र हो गए और यहां रहे तो अपवित्र। यह नहीं होना चाहिये। हिन्दू धर्म बहुत पुराना धर्म है। हिन्दू धर्म में कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई आसमान से टपका है या कोई धरती से। एक तरह से सभी जन्म लेते हैं, सभी धर्मों के लोग जन्म लेते हैं। एक तरह से सभी पलते हैं। पहले आप देखें कि बावड़ी से लोग पानी पीते थे, नल का नहीं पीते थे क्योंकि नल में चमड़ा लगा होता था। लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। पहले बुजुर्ग लोग अपने साथ बोतल रखते थे और उसका पानी पीते थे। लेकिन आज यह चीज नहीं है। सब ने नल का पानी पीना शुरू कर दिया है।

मन्दिरों की बात आप लें। आज हरिजन भी मन्दिर में साउथ में जा सकते हैं। मैं केरल में भी गया। वहां भी जा सकते हैं। हमारे संसद सदस्य हरिद्वार से आते हैं। वहीं की बात मैं करता हूं

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला): जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य ने प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के लिए कहा है कि क्योंकि वह पवित्र नहीं है, इसलिए मैं उनको यहां आने की इजाजत नहीं दूंगा। वह एक पारसी से ब्याही हुई हैं इसलिए पवित्र हिन्दू नहीं है।

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : वह आपकी नालेज में होगा, मेरे नालेज में नहीं है। जहां तक हमारा ताल्लुक है हमें इसका इल्म नहीं है। हरिद्वार पंडितों की नगरी है। हरिद्वार से जो माननीय सदस्य आते हैं यहां एक बात कहते हैं और हरिद्वार में पंडितों के सामने दूसरी। पंडितों के वोट से वह यहां आए हैं। आज यहां वह पंडितों के खिलाफ बोलते हैं और वहां पंडितों के हित में। वहां वह उनको क्यों क्रिटिसाइज नहीं करते हैं।

मैंने हरिद्वार में देखा है कि गोदान जो होता है, सुबह से शाम तक चालीस चालीस बार एक ही गाय का गोदान कर दिया जाता है। चालीस-चालीस बार एक ही गाय दिन में बिकती है। यहां अपने वोटरों के खिलाफ बात करते हैं। किसी कौम पर किसी बिरादरी पर लांछन लगाना ठीक नहीं है। उस बिरादरी ने सारी गड़बड़ कर दी है ऐसी बात कहना ठीक नहीं है। हमारे यहां पंडित भी हैं, मौलवी भी हैं। अच्छे-अच्छे विद्वान भी हैं जो समाज सुधार का काम करते हैं। जिन्होंने ये ग्रन्थ लिखे थे, वे खत्म हो चुके हैं। उनसे आप पूछ सकते थे कि उन्होंने यह सब क्यों लिखा। अब हमें नए समाज को जन्म देना है, नया समाज हमको बनाना है। जंगे आजादी से लेकर प्रधान मंत्री पंडित नेहरू, प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी और जो नेता हैं उनकी यही इच्छा थी और है कि गरीब लोग ऊपर उठें, बिना भेदभाव सब के हित के काम हों, कौन ऊंच है और कौन नीच इसका ध्यान न दिया जाए।

जहां तक स्त्रियों का सम्बन्ध है, मैं देख रहा हूं कि एक मंत्राणी जी इस वक्त यहां पर बैठी हुई हैं। ये कब की बात कर रहे हैं ताड़न के अधिकारी वाली बात ? यह मेरी समझ में नहीं आया है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आज से तीन महीने पहले की बात है। यह अखबार की कटिंग है। देश के सबसे बड़े शंकराचार्य ने यह लिखा है जो हमारे सामने है। जवाब में मैं इसको कोट करूंगा।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : उसे ऐसा नहीं कहना चाहिये। पता नहीं शंकराचार्य के नाम से किसी और की बात आप ले आये हों। माननीय रामावतार शास्त्री जी बैठे हुए हैं यह एक दिन बस में चढ़े यह कह रहे थे कि हम पंडित हैं लेकिन जब सदन में बोलेंगे तो हरिजनों के हक में बोलेंगे, लेकिन बाहर तो मैं पंडित की तरह काम करूंगा। आप उसके खिलाफ बोलिए जो गलत काम करता है। पंडितों में भी गरीब हो सकते हैं। केवल हरिजनों में ही गरीब नहीं हैं। इसलिए गरीबों की गरीबी दूर करना हमारा धर्म है।

जहाँ तक हमारी पार्टी और सरकार का ताल्लुक है, हमारे नेताओं का ताल्लुक है वह छुआछूत में विश्वास नहीं करते हैं। यह तो आपके हिस्से में आया है इसीलिए बार-बार आप ऐसे प्रस्ताव लाते हो, जो कि उचित नहीं है। आप लोग ही इसको बढ़ा रहे हैं। इसको खत्म करना चाहिये। जब तक खत्म नहीं करोगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। गांधी, जिन्नाह के समय से ही तो यही मानते हैं:

मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दुस्तान हमारा।

जब तक हमारे अन्दर यह भावना नहीं आती तब तक काम नहीं चलेगा। जाति

बिरादरी की बात नहीं उठानी चाहिए। आज लोग एक दूसरी जाति में शादियां कर रहे हैं। देश में लाखों लोग जाति बिरादरी को तोड़ कर, बुरे आदमियों से नाता तोड़ कर, गरीब लोगों के साथ नाता जोड़ रहे हैं।

इसलिए पुरानी बातों को, जिनको दफना दिया गया है, उनको उठाना व्यर्थ है। इसलिए मेरी प्रार्थना है माननीय राजनाथ सोनकर जी से कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय जी, माननीय सदस्य श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री के हिन्दू धर्मग्रन्थ तथा अन्य धार्मिक साहित्य (पुनरीक्षण एवं संशोधन) विधेयक 1983 में निहित भावनाओं का मैं समर्थन करता हूं।

श्री मनु ने मनुस्मृति की रचना करके समाज को चार वर्णों में विभाजित कर सम्पूर्ण समाज को ऊंच-नीच के आधार पर विभाजित कर दिया। ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य और शूद्र; जातियों की विचारधारा के वही जनक माने जाते हैं। उन्होंने ऐसा करके प्राचीन भारतीय समाज की विवृत करने का घृणत प्रयास किया है। श्री शास्त्री ने मनुस्मृति के निम्न उद्धरणों को उद्धृत कर उनके निकृष्ट एवं समाज को नष्ट करने, व्यक्ति-व्यक्ति के प्रति नफरत की भावना फैलाने की कुचेष्टा की है।

मनुस्मृति हिन्दू धर्म की एक नीति विषयक अत्यन्त प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके कुछ श्लोक मन पर कीये प्रहार करते हैं। संविधान की प्रत्यक्ष अवहेलना होती है मनुस्मृति के अनुसार शूद्र को सलाह, हवन का घी, धर्म शिक्षा न दें और शिक्षा देने वाला व्यक्ति असंवृत्त नाशक नर्क में गिरता है···शूद्र के सम्मुख वेद न पढ़ें···ब्राह्मण शूद्र की सम्पत्ति निःसंकोच ले लें · शूद्र किसी सम्पत्ति का मालिक नहीं होता : शूद्र का एक मात्र धर्म है अपने से उच्च वर्गों की सेवा करना···शूद्र न्याय न करे वर्ना देश में अकाल पड़ेगा ·· शूद्र का निन्दा जन्य आमकरण हो···शूद्र के राज्य में निवास न करें···एक तेली 10 कसाइयों के बराबर, एक कलबार 10 तेलियों के बराबर और एक बहुरूपिया या वैश्या का एक नौकर दस कलवारों के बराबर होता है। लौहार, मल्लाह सोनार के अन्न को न खावे··· शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को—सोनार का अन्न आयु को—चमार का अन्न वंश को खा जाता है।···शूद्र को मारने में जितना पाप लगता है उतना पाप बिल्ली, मेढक, चिड़िया, उल्लू और कौआ को मारने में लगता है।···मजदूरी के बदले शूद्र को झूठा अन्न देवे···शूद्र गले में हडिया, कमर में झाड़ बाँध कर सड़क पर चलें। आदि-आदि रामायण के अनुसार ज्ञान गुणहीन ब्राह्मण की पूज ाकरनी चाहिए और ज्ञान में प्रवीण शूद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए···"ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ताड़न के अधिकारी हैं।"

श्री मनु ने समाज को चार वर्णों में विभाजित कर ऊंच-नीच की भावना एवं शोपण की व्यवस्था को चिरस्थायी बना दिया। आज समाज का एक धड़ा हिस्सा इस जहरीली और मानवता विरोधी विचारधारा से प्रभावित है जिसके विरुद्ध हमें सजग और सचेत विचारात्मक संघर्ष चलाना चाहिए। यह संघर्ष बड़ा ही जटिल और लम्बा होगा। विचारधारा की क्रांत करनी होगी।

मनु की मान्यताओं को जड़ मूल से मिटाने तथा सभी जातियों में अटूट एकता पैदा करने के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान समाज की शोषण व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष कर

शोषित-पीड़ित लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना होगा। मानव-मानव में समता का भाव भरना होगा। पूंजीवादी शोषण दोहन की व्यवस्था को मिटाकर समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करनी होगी। इजारेदारों के शिकंजों को खत्म करना होगा। इसके लिए जरूरत पड़ने पर संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होगी।

हमारा वर्तमान समाज पूंजीवादी समाज है जिस पर थोड़े से इजारेदारों का शिकंजा कायम है, जिसके विरुद्ध निर्मम वर्ग-संघर्ष चलाने की आवश्यकता है। ऐसा करके ही हम धनतंत्र को तोड़कर वास्तव में समतातंत्र को कायम कर सकते हैं।

हरिजनों, आदिवासियों, पिछड़ी जाति के लोगों, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था रखते हुए यह आवश्यक है कि उन्हें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से शक्तिशाली बनाया जाये।

मंडल कमीशन की रिपोर्ट में इस बात पर जोर देकर ठीक ही कहा गया है कि आम जनता और पिछड़ी जाति के लोगों के बीच जमीन का बंटवारा करके ही विकसित जातियों के स्तर पर लाया जा सकता है। इसके लिए भूमि सुधारों को लागू करना होगा, भूमि सुधार कानूनों को संविधान की नवीं सूची में दर्ज करना होगा।

सम्पूर्ण समाज को समता स्थापित करने के लिए उत्पादन के साधनों को समाज के कब्जे में लाना होगा, इजारेदारी की व्यवस्था का अन्त करना होगा, धर्मनिरपेक्षता की नीति का व्यापक प्रचार करना होगा विचारात्मक क्रांति करनी होगी वर्ण-व्यवस्था की समाप्ति समाजवादी व्यवस्था से ही सम्भव हो सकती है। समाजवादी व्यवस्था में शोषण-शोषक की व्यवस्था समाप्त कर दी जायेगी।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार वर्तमान शोषण व्यवस्था को कायम रखते हुए वर्ण-व्यवस्था को समाप्त नहीं कर सकती। इसके लिए समाजवादी क्रांति ही एकमात्र अस्त्र है जिसके कारण श्री शास्त्री जी की भावनाओं की पूर्ति हो सकती है।

दुःख है कि शास्त्री जी और उनका दल मनुस्मृति की घृणित भावनाओं को समाप्त कर सभी भारतवासियों को क्षमता के स्तर पर लाने के लिए वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं कर, ऐसे तत्वों से हाथ मिला रहे हैं जो उनकी समतावादी भावना से सहमत नहीं हैं। वर्ण-व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, शोषण दोहन की स्थितिवादी व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्षता की नीति में विश्वास नहीं रखते, चोरबाजारी और मुनाफाखोरी को मजबूत बनाना चाहते हैं।

18.00 hrs.

अतः शास्त्री जी और उनके दल से मेरा अनुरोध होगा कि वे वैसे लोगों से अपना दामन छुड़ा कर वर्ग-संघर्ष में विश्वास रखने और उसे क्रियान्वित करने वाली वामपन्थी और जनतांत्रिक शक्तियों के साथ हाथ मिला कर वर्तमान समाज को बदलने के संघर्ष में शामिल हों।

MR. CHAIRMAN : This discussion will continue on the next day when it comes.

The House now stands adjourned to reassemble on Monday, the 12th March at 11 a.m.

18.02 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, the 12th March, 1984/22nd Phalguna, 1905(S).

Printed at the Indian Press Delhi-34